राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

वार्षिक रिपोट
2009-2010

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

द्वतीय तल, प्रशास न्यूविंग
एन. जी. एम. ऐ, जयपुर हाउस
नई दिल्ली–110003

दूरभाष: +91-11-23386835, 23385569
टेलीफैक्स: +91-11-23386869
ईमेल: ncfmanager_2007@yahoo.co.in
www.ncf.nic.in

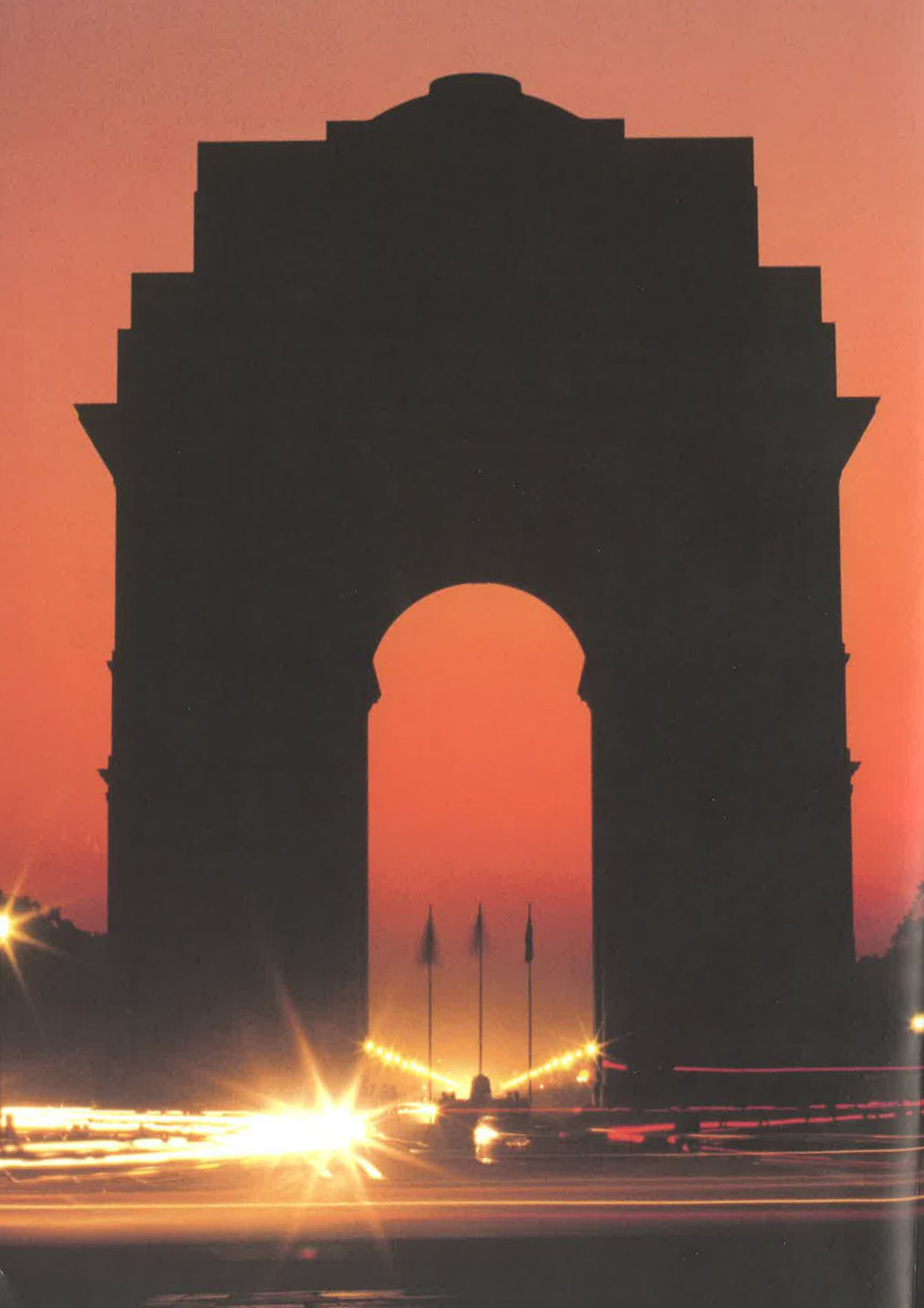

प्रस्तावना

यह राष्ट्रीय संस्कृति निधि की 2009-2010 की वार्षिक रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत वर्ष भर के दौरान एन. सी. एफ. (राष्ट्रीय संस्कृति निधि) की मुख्य गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण समाहित है। एन. सी. एफ. के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप, वर्ष के दौरान कुछेक नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया अतैव देश भर के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक संपदाओं के संरक्षण एवं पुनुर्द्धार के लिए विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियों का समर्थन प्राप्त किया जा रहा है।

एन सी एफ की कार्यशैली को मुख्य धारा में लाने तथा इसकी परियोजनाओं के प्रबंधन एवं निगरानी के क्रम में(मैसर्स इनसाइट बिजनेस कंसलटेंसी एक व्यावसायिक परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं प्राप्त की गई ताकि संगठन के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार करें। इनसाइट के द्वारा अगस्त 2009 में रिपोर्ट जमा की गई थी और उन्होंने एन सी एफ की परियोजना प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के सुधाार हेतु एक रणनीति बताई थी। इस रिपोर्ट की संस्तुतियों में एक स्वायत्त परिचालनत्मक ढांचे की स्थापना, पर्याप्त कार्यालय स्थान कार्मिकों की अवधि का औचित्यीकरण, एन सी एफ की वर्तमान परियोजनाओं एवं संसाधनों को संबोधित करना तथा आने वाले वित्त वर्षो के लिए व्यवसाय योजना तथा बजट की तैयारी करना शामिल था।

परामर्शदात्री फर्म ने यह भी जोर दिया था कि एन सी एफ की सक्षमता को बढ़ाने तथा संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रमुख दावेदार के रूप में पुर्नस्थापित करने की जरूरत है। रिपोर्ट के आधार पर एन. सी. एफ. में एक प्रमुख प्रचालन अधिकारी तथा दो वरिष्ठ प्रबंधकों के पदों के सृजन की संस्वीकृति पी एम ओ द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। इनके चुनाव की प्रक्रिया वर्ष 2010-2011 में शुरू होगी और ये तीनों अधिकारी वर्ष 2011-2012 के प्रारंभ में पदस्थापित होंगे।

वर्तमान में, एन सी एफ परिषद एवं कार्यकारी समिति के नियमों एवं विनियमों के साथ सरकार के द्वारा स्थापित विनियमों के अनुरूप एक प्रमुख प्रशासनिक कार्मिक के द्वारा चलाई जा रही है। लेखा परीक्षकों तथा महानिदेशक एसीआर की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि एनसीएफ के वित्तीय मामलों को समुचित रूप में अनुरक्षित रखा गया है।

संस्कृति सचिव
संस्कृति मंत्रालय/अध्यक्ष (पदेन)
कार्यकारी समिति, एन सी एफ

विषय – सूची

प्रस्तावना	07
राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना	10
गतिविधियाँ वर्ष 2009 – 10 के दौरान	11
नई परियोजनाएं	13
पूरी की गई परियोजनाएं	15
वर्ष 2009 – 10 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.)	28
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट – विपुल कुमार एवं कं० चार्टर्ड एकाउंटेंट	30
तुलन पत्र – 2009 – 10	31
आय एवं व्यय लेखा	32
तुलन – पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां	33
प्राप्ति और भुगतान लेखे में समाविष्ट अनुबंध क, ख, ग एवं घ	50
लेखांकन नीतियां/लेखाओं पर टिप्पणियां	54

परिचय

भारत का संविधान नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों को निम्नांकित शर्तो के अनुसार गारंटी प्रदान करता है-

''भारत के किसी भी भू भाग में रहने वाला किसी भी वर्ग का नागरिक, चाहे उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति भिन्न हो, को संरक्षित करने का निजी अधिकार होगा।''

हमारे संविधान में सन्निहत उद्देश्य को वास्तविकता बनाने के क्रम में, सरकार ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने, संरक्षित करने, अनुरक्षित एवं विकसित करने के लिए टिकाऊ उपाय किए हैं राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) की स्थापना नवंबर 1996 में दिनांक 28 नवंबर, 1996 में जारी राजपत्र अधि सूचना सं 695 के माध्यम से न्यास अनुमोदन अधिनियम 1890 के तहत हुई थी। जिसका दृष्टिकोण नैगमिक क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रें एवं व्यक्तियों की भागीदारी एवं सम्मिलन से भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासतों के प्रोन्नयन, संरक्षण एवं परिक्षण में सक्षम बनाना था।

प्रबंधन एवं प्रशासन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि एक परिषद एवं कार्यकारी समिति के द्वारा प्रबंधित होती है। परिषद में अधिकतम 24 सदस्यों की क्षमता है जिसमें बारह नामी-गिरामी सदस्य नैगमिक (उद्योग) जगत एवं निजी क्षेत्र, निजी न्यासों एवं गैर लाभकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं। इस परिषद के अध्यक्ष मानवीय प्रधानमंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री के रूप में हैं।

कार्यकारी समिति की अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है।

प्रत्येक परियोजना स्वतंत्र रूप से परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी आई सी) द्वारा प्रबंधित की जाती है। परियोजना

क्रियान्वयन समिति में एन सी एफ का प्रतिनिधित्व होता है और जब कभी भी अपेक्षा होती है तब नागरिक प्राधिकारी एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी होते हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग संयुक्त बैंक खाता अनुरक्षित होता है जो एन सी एफ के प्रतिनिधि तथा दानदाता/फंडिंग एजेंसी के प्रतिनिधि के द्वारा परिचालित होता है। प्रत्येक परियोजना के खाते का विवरण एन सी एफ के खाते में समन्वित होता है जो वार्षिक आधार पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किया जाता है।

एन सी एफ के उद्देश्य

1) संरक्षित स्मारकों या अन्य महत्वपूर्ण (कीर्तिस्तंभो) स्मारकों के विकास एवं परिक्षण, अनुरक्षण, उन्नयन, संरक्षण या उन्नतिशील बनाने के लिए निधियों को जुटाना एवं उपयोग करना।
2) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के पुनर्वास तथा कलापूर्ण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन की जिम्मेदारी उठाना।
3) सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में व्यावसायिकों एवं स्टाफ कर्मियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
4) कलात्मक प्रयत्नों के सभी स्वरूपों विशेषकर कलाओं में नवाचारी प्रयोगों को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।
5) विद्यमान संग्रहालयों में अतिरिक्त जगहें बनाना तथा नवीन एवं विशिष्ट गैलरियों के सृजित करने या समाहित करने हेतु नए संग्रहालयों को बनाना।
6) सांस्कृतिक विकास एवं समाज की अग्रिमता (उन्नति) को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नगर-निकायों अथवा क्षेत्रिय स्तर पर रणनीतियां बनाना।
7) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदाओं के प्रोन्नयन एवं परिरक्षण में संलग्न संगठनों, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराना।
8) भारत एवं अन्य देशों के बीच अनुबंधित सांस्कृतिक विनिमय कायक्रमों के दायरे में स्वदेशी विशेषज्ञता, मानव संसाधन तथा क्रियाकलापों के विकास हेतु अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वयन को बढ़ावा देना।

9) विरासतों के परिरक्षण के उद्देश्य हेतु संरक्षण या किसी अन्य गतिविधि के लिए कम ब्याज पर, यहां तक की ब्याज रहित _ण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

नियम एवं विनियमन

- एन. सी. एफ. हेतु दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी (2) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के पात्र है।
- प्रत्येक विकास स्थल पर पट्टिका लगाने हेतु प्रावधान किया गया है जो दानदाता, सहयोगकर्ता तथा भागीदार की अभिस्वीकृति को प्रस्तुत करता है।
- एन. सी. एफ. आयकर छूट की रसीद जारी करता है और प्राप्त दान राशियों के उपयोग का विस्तृत लेखा-जोखा प्रदान करता है।
- एन. सी. एफ. समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना प्रबंधन में सुनम्यता प्रदान करता है।
- परियोजनाओं को एक संयुक्त परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।
- स्मारकों एवं आयोजित कार्यक्रमों (घटनाओं) से प्राप्त राजस्व को एन. सी. एफ. तथा ए एस आई के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित खातों में जमा किया जाता है।
- एन. सी. एफ. के पास एक एफ आर सी ए खाता है और सभी विदेशी दानों को विदेशी भागीदारी विनियमन अधिनियम के तहत किलियेरेंस को पूरा करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है।
- एन. सी. एफ. का उद्देश्य भारत की विरासतों के ज्ञान एवं गुण-ग्राहकता को पूरे विश्व में प्रचारित करना है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के कार्यकलाप

एन सी एफ निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है-

- स्मारकों में दर्शनीय सुधार, ऐतिहासिक स्थलों, विरासत परिसरों एवं उनके कार्यक्रमों के विकास के बारे में परियोजनाओं एवं प्रायोजन कर्ताओं के लिए सक्रिय निष्पत्ति।
- स्थानीय समुदायों की संस्कृति एवं जीवन शैली में स्मारकों को पुनः समाहित करना।
- विरासत स्थलों के आस-पास एवं अंदर पर्यावरणात्मक विकास।
- स्मारकों का ढांचागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पुनर्सज्जीकरण।
- सांस्कृतिक सूचना पटलों, दिशा-निर्देश पटलों तथा दानदाताओं के श्रेय देने वाले संकेत पटलों का प्रदर्शन।
- विरासत स्थलों पर आगंतुक मैत्री सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- विद्यमान संग्रहालयों में सुधार एवं उन्नयन तथा विद्यमान सांस्कृतिक स्थलों के दायरे में नए संग्रहालयों के आरंभ करना।
- स्मारकों को प्रकाश से युक्त बनाना।
- पर्यटकों को सुविधाएं देना-जैसे कैफेटीरिया, पार्किंग स्थल, भू-दृश्य, सूचना केन्द्र, कियोस्क, साइबर कैफे, स्मारिका विक्री केन्द्रों आदि की स्थापना करना।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना

परिषद्

अध्यक्ष

श्री मनमोहन सिंह
संस्कृति मंत्री (माननीय प्रधानमंत्री) (पदेन)

सदस्य

श्री जवाहर सिरकार
सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

श्रीमती दीपाली खन्ना
वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

श्री विजय एस मदन
संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

श्री ओपी जैन
अध्यक्ष, संस्कृति प्रतिष्ठान, दिल्ली

श्रीमती संगीता जिंदल
अध्यक्ष, हम्पी फांउडेशन, मुंबई

श्री तरूणदास
मुख्य सदस्य, भारतीय उद्योग संघ, गुड़गांव

श्री आर के कृष्ण कुमार
उपाध्यक्ष, द इंडियन होटल कंपनी लि., मुंबई

श्री हरीश गोयनका
अध्यक्ष, आर पी जी इंटरप्राईजेस, मुंबई

श्रीमती सुधा मूर्ति
इंफोसिस फाउडेशन, बैंगलूरू

श्रीमती राखी सरकार
निदेशक, सेंटर फार इंटरनेशनल माडर्न आर्ट, कोलकाता

श्री एस के रूंगटा
अध्यक्ष, स्टील अथॉरटी आफ इंडिया लि., दिल्ली

श्रीमती अमिता बेग
हेरिटेज मैनेजमेंट परामर्शदात्री, दिल्ली

डा. किरन सेठ
स्पाइक मैके, दिल्ली

श्रीमती मालविका सिंह
संपादक, सेमिनार, दिल्ली

श्री अमरेश सिंह
निदेशक, संस्कृति मंत्रालय, सदस्य सचिव (पदेन)

कार्यकारी समिति

अध्यक्ष

श्री जवाहर सिरकर
सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

सदस्यगण

श्रीमती दीपाली खन्ना
वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

श्री विजय एस मदान
संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालाय (पदेन)

श्री के. एन. श्रीवास्तव (31 जनवरी, 2010 तक)
महानिदेशक, भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण विभाग (पदेन)

श्री गौतम सेन गुप्ता (फरवरी, 2010 से)
महानिदेशक
भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण विभाग (पदेन)

श्री ओ पी जैन
अध्यक्ष, संस्कृति प्रतिष्ठान, दिल्ली

श्रीमती संगीता जिंदल
अध्यक्ष, हंपी फाउंडशन, मुंबई

श्री तरूणदास
मुख्य सदस्य, भारतीय उद्योग संघ, गुड़गांव

श्री आर के कृष्ण कुमार
उपाध्यक्ष, दि इंडियन होटल कंपनी लि., मुंबई

डॉ. किरन सेठ
अध्यक्ष स्पाइक मैके, नई दिल्ली

श्री एस के रूंगटा
अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

श्री अमरेश सिंह
निदेशक संस्कृति मंत्रालय
सदस्य सचिव (पदेन)

गतिविधियाँ वर्ष 2009 – 10 के दौरान

वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे लोक सभा एवं राज्य सभा में पेश किए गए

वर्ष 2008 – 09 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे राज्य सभा एवं लोक सभा में क्रमश: 24 अगस्त, 2011 तथा 30 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत किए गए।

कार्यकारी समिति की बैठकें

कार्यकारी समिति की 10वीं एवं 11वीं बैठकें सचिव संस्कृति मंत्रालय/अध्यक्ष एन सी एफ (पदेन) की अध्यक्षता में क्रमश: 13 अक्टूबर, 2009 तथा 17 दिसंबर, 2009 को आयोजित की गई।

एन सी एफ लेखा खातों की लेखा परीक्षा

वर्ष 2009 – 10 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वार्षिक लेखा – खातों की लेखा परीक्षा 11 मई, 2010 से 14 मई, 2010 तक डीजी एसीआर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई।

मूल निधि

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि को 19.50 करोड़ रूपये की मूल (आधार) निधि प्रदान कर अपनी प्रतिबद्धता पूरी की।

यथा 31 मार्च, 2010 पर वित्तीय स्थिति

एनसीएफ के पास कुल उपलब्ध निधि की राशि 40.79 करोड़ रूपये है विवरण नीचे दिया गया है –

प्राथमिक मूल निधि	: 19.50 करोड़ रू०
द्वितीयक मूल निधि	: 10.89 करोड़ रू०
परियोजना निधि	: 10.40 करोड़ रू०

उपरोक्त के अलावा 27.00 करोड़ रू० की राशि इंडियनऑयल कार्पोरेशन से इसकी परियोजना निधि के रूप मे प्राप्त की गई और 26 करोड़ रूपये इंडियन आयल फाउंडेशन के पास रखा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

आई ओ एफ प्रोजेक्ट फंड	: 26 करोड़ रू०
प्रोजेक्ट फंड पर ब्याज	: 13 करोड़ रू० (लगभग)
आई ओ एफ तथा एन सी एफ के संयुक्त खाते में	: 1 करोड़ रू०

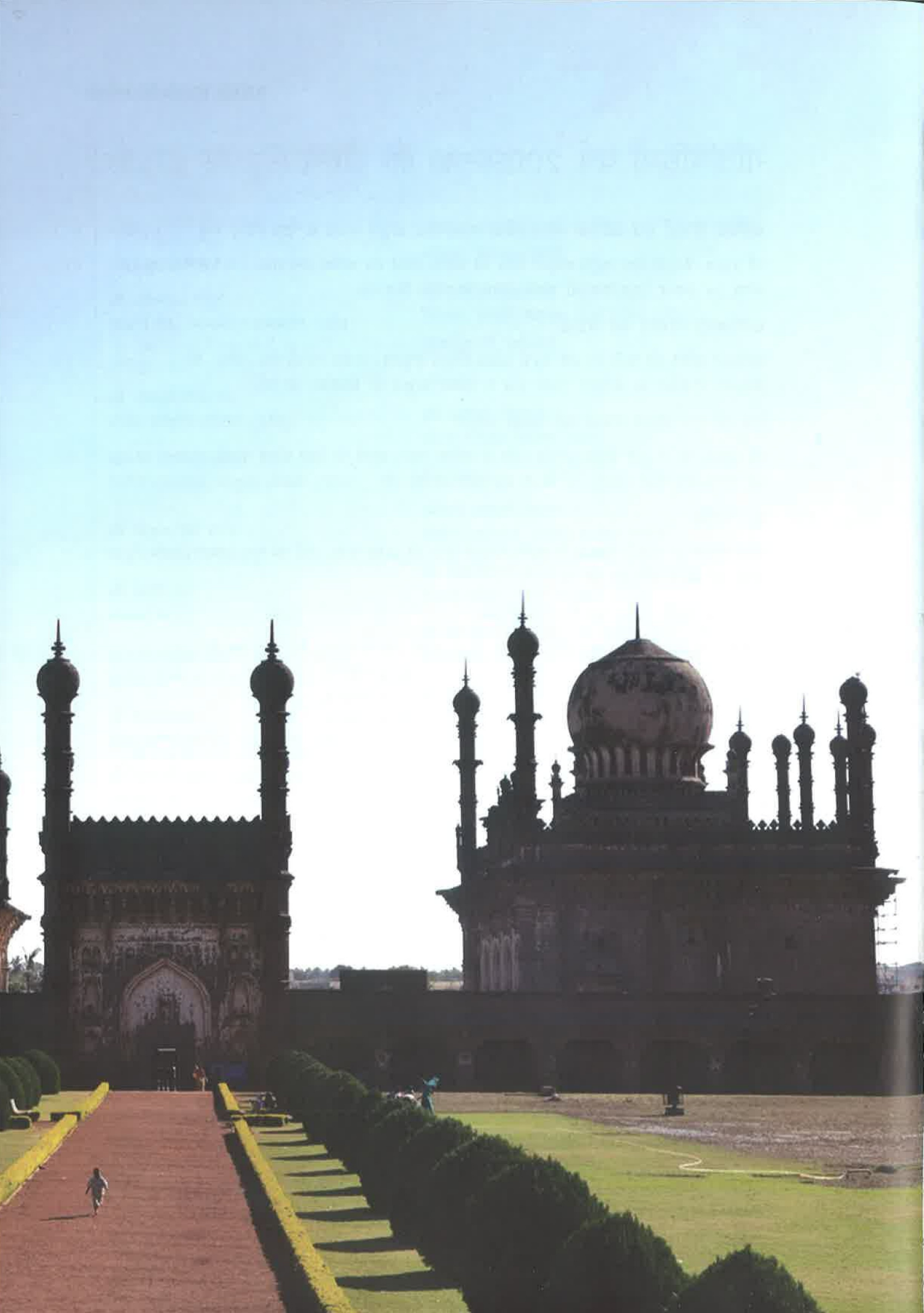

नई परियोजनाएं

तुगलकाबाद किला, दिल्ली

13 अप्रैल, 2009 को एन. सी. एफ., ए एस आई तथा गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तुगलकाबाद किला, दिल्ली के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। गेल ने इस बात से सहमत होते हुए उद्देश्य को पूरा करने के लिए 30 लाख रूपये का अंशदान प्रदान किया और उस राशि को एन सी एफ के खाते में जमा कराया।

इब्राहिम रौज़ा एवं गोल गुंबज, बीज़ापुर

11 दिसंबर, 2009 को एन सी ए.ए.स.आ.ई तथा मैसर्स नौरस न्यास बैगलूरू के साथ इब्राहिम रौजा के बाग एवं बीज़ापुर के जीर्णोद्धार एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उपरोक्त उद्देश्य के लिए नौरस न्यास ने 30 लाख रू० की राशि के अंशदान का वचन दिया तथा उक्त उद्देश्य के लिए खोले गए संयुक्त खाते में 15 लाख रू० की राशि जमा कराई।

मैसर्स ओ एन जी सी, नई दिल्ली

18 दिसंबर, 2009 को ओ एन जी सी के साथ भारत की समृद्ध धरोहर/विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग ज्ञापन (एक छमक समझौता) हस्ताक्षरित किया गया। इसकी प्रमुख विशिष्टताएं निम्नांकित है -

(1) आसाम राज्य के शिवसागर जिले के केन्द्र में स्थित 'रंग घर' को संरक्षण एवं परिरक्षण।

(2) देश भर के विभिन्न शहरों में सर्वधर्म भक्ति उत्सवों का आयोजन, ऐसा पहला उत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया।

(3) देश भर के विभिन्न शहरों में, विरासत के साथ प्रारंभ करते हुये बहु कार्यक्रम समारोहों का आयोजन, एक 15 दिवसीय बहु कार्यक्रम समारोह देहरादून में किए जाते हैं।

(4) विभिन्न प्रकार की निष्पादक कलाओं संगोष्ठियों, कार्यशालाओं इत्यादि को शामिल करते हुये प्रत्येक वर्ष शरद एवं शीत (अक्टूबर से मार्च) के दौरान नई दिल्ली में 300 कार्यक्रमों वाले ''क्लासिक इंडिया''नामक समारोह का आयोजन।

(5) मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण जिन्हें प्रतिष्ठित एवं विख्यात टेलीविजन चैनलों में टेलीकास्ट किया जाएगा (जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर टेलीकास्ट करने के लिए सुरभि फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई फिल्म)।

(6) कोई अन्य परियोजनाएं जो दो पार्टियों के बीच परस्पर सहमति वाली हो सकती है, उन्हें अनुसूची में जोड़ा जा सकता है।

एन टी पी सी लि० के साथ समझौता ज्ञापन

दिनांक 22 दिसंबर 2009 को एन सी एफ, एएसआई तथा एनटीपीसी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। जिसके तहत संरक्षण एवं विकास के लिए निम्नांकित स्थलों को चुना गया-

(क) भांडू (मध्य प्रदेश) के स्मारकों का समूह
(क) जागेश्वर (उत्तराखंड) के मंदिरों का समूह
(क) ललित गिरि/धौली (उड़ीसा) के पुरातात्विक स्थल

एनटीपीसी लि० इस परियोजना की लागत 5 करोड़ रूपये के लिए सहमत हुई और संयुक्त बैंक खाते में 50 लाख रूपये जमा किए हैं।

शिव मंदिर, अंबरनाथ

दिनांक 25 फरवरी, 2010 को एनसीएफ, एएसआई तथा नागरिक सेवा मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। शिव मंदिर अंबरनाथ के अनुरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन की प्रतिबद्धता के अनुसार नागरिक सेवा मंडल के इस परियोजना के लिए खोले गए संयुक्त खाते में 22,30,701/-रू० जमा कराए।

पूरी की गई परियोजनाएं

रमण महर्षि केन्द्र बैंगलूरू

यह केन्द्र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करके भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ा रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रमण महर्षि केन्द्र ने रमण महर्षि विरासत एवं समुदाय केन्द्र स्थापित किया है, जहां दृश्य/श्रव्य पुस्तकालय, सांस्कृतिक संदर्भ पुस्तकालय तथा 500 सीटों वाले मंच कला आडिटोरियम की सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहां जनता के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

रमण महर्षि केन्द्र बैंगलूरू ने दो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए:
पहला समझौता ज्ञापन दिनांक 14 मार्च 2001 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सांस्थानिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए किया गया। इसके लिए एन सी एफ ने कर्नाटक संगीत के परिरक्षण हेतु सीडी, कैसेट्स बनाने हेतु 13.50 लाख रूपये की राशि प्रदान की। जिसके लिए 800 सीडी तथा 747 कैसेट्स के दो सेटों (एक सेट एनसीएफ के लिए तथा दूसरा संगीत नाटक अकादमी के लिए) को जमा कराने के साथ परियोजना को परिपूर्ण माना गया।

दूसरा समझौता ज्ञापन दिनांक 28 जुलाई, 2007 को सांस्कृतिक अनुसंधान भवन के निर्माण हेतु केन्द्र को 35 लाख रू० (मैचिंग ग्रांट) की वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया। यह वित्तीय सहायता केन्द्र के लिए तीन किस्तों में जारी की गई। भवन के पूरा होने के साथ परियोजना परिपूर्ण हो गई।

अनवरत परियोजनाएं

ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट, वाराणसी

सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, ज्ञान प्रवाह न्यास की स्थापना सन् 1996 में वाराणसी में की गई थी। दिनांक 4 जनवरी 2000 को इस क्षेत्र की मौखिक परंपराओं के संवर्धन एवं परिक्षण हेतु बनारस में भारतीय लिपियों का एक संग्रहालय स्थापित करने हेतु ज्ञान प्रवाह न्यास वाराणसी तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यह संस्थान अपने कार्यक्रमों के लिए दान के माध्यम से निधियां जुटा रहा है। इस वर्ष के दौरान ज्ञान प्रवाह केन्द्र, वाराणसी के द्वारा अनेक कार्यक्रमों जिनमें संगोष्ठियां, निष्पादक प्रशिक्षण कार्यशालाएं इत्यादि शामिल है, आयोजित किए गए।

संगोष्ठियां (सेमिनार) 12 से 14 फरवरी (1) 2010 के बीच महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के सहयोग से अखिल भारतीय वेद संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी ने युवाओं के बीच संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा देने एवं प्रोन्नत करने में व्यापक सहायता की।

(2) दिनांक 5 से 7 मार्च, 2010 के दौरान मध्यकालीन (7 से 13वीं शती) भारतीय मूर्ति कला विद्या में कल्पनात्मकता जीव-जंतु पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस सेमिनार में भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों व संस्थानों के विख्यात प्रोफेसरों ने भाग लिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक डा० गौतम सेनगुप्ता ने उद्घाटन सत्र के उप सभापति के रूप में उपस्थित होकर सेमिनार का मान बढ़ाया।

उच्चतर अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न विचार-धाराओं के उच्चतर अनुसंधानों यथा-प्राचीन एवं अज्ञात या दुरूह लिपियों, शिला लेख/अभिलेखों, कलाओं, पुरातत्व, साहित्य जैसे कि ''अशोका'' मैन एंड द किंग (मनुष्य एवं राजा) आदि को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही संस्कृत नाटकों तथा अन्य तमाम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली परंपराओं के विशेष कार्यक्रम किए गए। इस वर्ष युवा पीढ़ी के लोगों के लिए काशी की धरोहरों (विरासतों) पर 'क्विज' तथा कालिदास पर अंत्याक्षरी जैसे कार्यक्रम किए गए।

कलामंडप (संग्रहालय) इस वर्ष कलामंडप को अनेक प्रकार की नवीन वस्तुओं जैसे कि लघु चित्र पेटिगों, सिक्कों, वस्त्र, प्रस्तर मूर्तियों तथा मिट्टी के नमूनों-यथा-रसिक प्रिय (17वीं ई० पू०) रामायण (17वीं ई०पू०) तथा भगवतगीता (18वीं ई०पू०) विषयों की चित्रित करने वाले महत्वपूर्ण पेंटिंगों के वस्त्रों को जोड़कर समृद्ध बनाया गया। यहां पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजघाट से गुप्त काली से संबद्ध टेरीकोटा (मिट्टी) की सील (मुहर) का संग्रह रहा। यहां पर प्रारंभिक छापा चिन्हित सिक्कों से शुरू करके भारतीय इतिहास के लगभग सभी महत्वपूर्ण युगों के सिक्कों को प्रदर्शित करके एक नई ''मुद्रा विषयक (वीथि) गैलरी'' निर्मित की गई।

बाल संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल

दुर्गापुर बाल संस्कृति अकादमी गत छह वर्षों से दुर्गापुर-आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास मंच कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्यरत प्रतिष्ठित संस्थान है। यह अकादमी कलाओं एवं शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण देती है तथा बच्चों एवं व्यावसायिकों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है।

मंच कलाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, बालकला वीथि, संग्रहालय तथा आडिटोरियम के निर्माण हेतु संसाधन जुटाने हेतु दिनांक 12 जनवरी, 2000 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा बाल संस्कृति अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

अकादमी ने दुर्गापुर नगर निगम के सहयोग से यह तय किया कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाएगा। इसके लिए एक वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया। टैगोर के कार्यों पर सस्वर कविता पाठ, संगीत तथा संगोष्ठी आदि के साथ ऐसे पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्सव- एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव मनाया गया। इसका मुख्य आकर्षण एक विशाल क्विज था। क्विज में दक्षिण बंगाल के सभी जिलों से लगभग 700 छात्रें ने भाग लिया। इसमें दक्षिणी बंगाल के लब्ध प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। इन कार्यक्रमों में एन सी एफ ने भी भाग लिया तथा अपने कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को संसूचित व जागरूक करने के लिए पवेलियन भी लगाया था।

किष्किंधा ट्रस्ट/न्यास, अनेगुंडी, कर्नाटक

किष्किंधा न्यास-हम्पी के निकट, अनेगुंडी नामक ग्राम में स्थित है, जोकि विजयनगर साम्राज्य का एक प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्र है। यहां पर सभी विषयों से संबद्ध कलाकार प्रेरणा लेने आते हैं जैसा कि पुराकाल में करते थे। ट्रस्ट अनेगुंडी के लोगों के साथ मिलकर काम करता है कि जैसे अपनी विरासत को संरक्षित करें तथा उन्हें अपने गांव की सफाई एवं हरा-भरा बनाने में और क्षेत्र की औरतों एवं बच्चों को रोजगार से जुड़े शिल्प उपलब्ध कराने में मदद करता है।

18 अप्रैल, 2000 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा किष्किंधा न्यास के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ताकि गांव की विरासत को संरक्षित एवं क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिले।

जंतर मंतर, नई दिल्ली

दिल्ली में 1724 में स्थापित जंतर-मंतर तत्कालीन जयपुर में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित कराई गई अनेक खगोलीय वेधा-शालाओं में से एक है। अन्य चार वेध-शालाएं जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित हैं।

जंतर-मंतर, नई दिल्ली के संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, उन्नयन तथा सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण तथा एपीजे सुरेन्द्रा पार्क होटेल्स लि० के बीच 11 अक्टूबर 2000 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। निम्न प्रयोजनार्थ एपीजे समूह ने वचनबद्धता निभाते हुये 10.00 लाख रूपये की राशि प्रदान की-

- भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से अनुमोदन के द्वारा जंतर-मंतर के प्रत्येक यंत्र की साइट पर लगाने उसके ढांचे एवं कार्य प्रणाली के बारे में सूचना पट्टों को तैयार किया गया।
- जंतर-मंतर पर आने वाले आगंतुकों के लिए एक प्रतिपादन (व्याख्या) केन्द्र निर्माण के लिए एक गहन अनुसंधान किया तथा एक खाका (योजना) तैयार किया गया।

इंडियन ऑयल फाउंडेशन

भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्मारक के विकास हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि, इंडियन ऑयल फाउंडेशन, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन तथा भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के बीच दिनांक 30 मार्च 2001 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रथम चरण में संरक्षण, परिक्षण तथा विकास हेतु चिंहित स्मारक हैं- कुतुब मीनार, दिल्ली, कोणार्क सूर्य मंदिर, उडीसा, कन्हेरी गुफाएं, महाराष्ट, हम्पी, कर्नाटक, तथा खजुराहो, मध्य प्रदेश।

अभी तक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने 27 करोड़ रू. की राशि का अंशदान किया है और 26 करोड़ रूपये की राशि इंडियन ऑयल फाउंडेशन के पास रखी है। 31 मार्च 2009 की स्थिति तक ब्याज सहित यह राशि 40 करोड़ रूपये हो चुकी है। इंडियन ऑयल फाउंडेशन निम्नलिखित परियोजनाओं को समर्पित करता है:

कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर (उड़ीसा): - एक विश्व विरासत स्थल इंडियन आयल फाउंडेशन लगभग 20 करोड रूपये की लागत से कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में पर्यटक मैत्री सुविधाएं स्थापित कर रहा है। मई 2009 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस उद्देश्य की विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया था।

जी पी आर एस तथा स्थानाकृति वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्रमशः दिसंबर 2009 तथा जनवरी, 2010 तक पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के आलोक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ आगंतुकों हेतु आगंतुक बिन्दु की स्थैतिकी (जगह) की चर्चा की जा चुकी है।

खजुराहो (मध्य प्रदेश): - एक विश्व विरासत स्थल इस परियोजना के अंतर्गत खजुराहो में पर्यटक सुविधाएं विकसित करना शामिल है। योजना की तैयारी के लिए लखनऊ के मैसर्स ए एन बी कंसलटेंड्स को योजना को तैयार करने के लिए 9 नवंबर 2009 को परियोजना की कुल लागत के 1.67 प्रतिशत की दर से 41.8 लाख रूपये की अधिकतम परामर्श शुल्क पर प्रदान किया जा चुका है।

दिनांक 5 जनवरी 2010 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्यालय में महानिदेशक की अध्यक्षता में पी आई सी की बैठक की गई थी। बैठक के दौरान मैसर्स एएनबी कंसल्टेंट्स के द्वारा पर्यटन स्थल पर पर्यटक ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु संकल्पना योजना पर विस्तृत प्रस्तुति की गई। दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2010 को स्थल की विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुये मैसर्स एएनबी के संशोधित प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एएसआई (मुख्यालय), भोपाल सर्किल के एएसआई, सीपीडब्लूडी, विशेषज्ञ परामर्श सदस्य तथा आईओएफ के संबद्ध अधिकारियों के द्वारा दौरा किया गया।

दिनांक 25 एवं 26 जनवरी, 2010 को मैसर्स टोजो विकास जी पी आर एस कंसलटैंट ने मैसर्स एएनबी कंसलटैंट्स के साथ कार्य स्थल के सर्वेक्षण के लिए दौरा किया तथा स्थल के जीपीआर एस को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया 1 अप्रैल 2010 तक जीपीआर एस सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया।

25 मई 2010 तथा 12 जून 2010 को यह चर्चा करने के लिए मैसर्स एएनबी के साथ बैठक की गई कि पीआई सदस्यों तथा निदेशक (राष्ट्रीय संस्कृति निधि), एएसआई एवं ओएआर रामानाथन, विशेषज्ञ सदस्य के दृष्टिकोण को समन्वित करने के बाद स्थानापन्न संकल्पना योजना की चर्चा की जाए। जुलाई 2010 के अंत में, संकल्पना योजना को अंतिम रूप देने के लिए, मैसर्स एएनबी संशोधित संकल्पना योजना जमा करने पर सहमत हुए ताकि एएसआई अगली पीआईसी की बैठक को बुला सके।

कन्हेरी गुफाएं (महाराष्ट्र): परियोजना से संबंधित वन विभाग, महाराष्ट्र के मुद्दों को निपटाने के लिए 28 जुलाई, 2009 को मुंबई में मुख्य संरक्षक (वन्य जीव) के साथ एक बैठक रखी गई, जिसमें मुंबई सर्किल के एसए तथा आईओएफ ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एसए मुंबई सर्किल सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (माननीय सर्वोच्च, न्यायालय द्वारा नियुक्त) नई दिल्ली के समक्ष आवेदन करेगी कि एसजीएन पी मुंबई में पानी की लाइन एवं बिजली की तारे बिछाने के लिए विनियमनों में आवश्यक छूट प्रदान करें। महाराष्ट्र के मुख्य जन संरक्षक ने भी इस उद्देश्य के समर्थन के लिए अनुरोध को विस्तारित किया था।

आईओएफ ने 1 अक्टूबर, 2009 को श्री एम बी लाल अतिरिक्त उप महानिदेशक (वन्य जीव) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यालय में दौरा किया और उन्हें सलाह दी गई कि एएसआई को मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के पास एक आवेदन प्रस्तुत करना है, जो इस मामले को राज्य सरकार के अनेक विभागों को उठाएगें। राज्य स्तरीय बोर्ड की संस्तुतियों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्य जीव स्टैंडिग कमेटी के पास अग्रेषित कर दिया जाएगा।

मुंबई में मुख्य वन महाराष्ट्र (वन्य जीव) के कार्यालय में 15 जनवरी 2010 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आई ओ एफ) तथा डिप्टी एस ए मुंबई सर्किल तथा वन विभाग (संजय गांधी नेशनल पार्क) के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), मुंबई सहमत थे कि वे अपनी संस्तुतियों को नागपुर स्थित प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य जीव) को अग्रेषित करेंगे।

हालांकि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) वन विभाग/संजय गांधी नेशनल पार्क द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं के मद्देनजर प्रस्ताव को संस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे। यद्यपि उन्होंने यह माना अंतिम निर्णय लेने से पहले वे राज्य वन्य जीव परिषद की अगली बैठक को सामने आई ओ एफ/एएसआई को अपनी कार्यसूची मदों को एक संक्षिप्त प्रस्तुति पेश करने का अवसर दे सकते हैं।

वारंगल किला (आंध्र प्रदेश)–एक राष्ट्रीय विरासत स्थल: श्री बेन्नी कुरियकसोज संरक्षण वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत संकल्पना योजना के आधार पर वारंगल में पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए उन्हें अंतिम रूप से तैयार सूची में रखा गया है।

महानिदेशक-एएसआई के कार्यालय में 25 फरवरी, 2009 को एक बैठक की गई थी। 18 एवं 19 मार्च 2009 को निदेशक (एनसीएफ) एसए हैदराबाद सर्किल, परामर्शदाता एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आईओएफ) के द्वारा स्थल का दौरा किया गया। आईओएफ परियोजना के लिए अपेक्षित स्थल को चिंहित किया गया तथा एसए हैदराबाद सर्किल को निदेश दिया गया है कि 15 अप्रैल 2009 तक भूमि अधिग्रहण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। निदेशक (एनसीएफ) ने वारंगल किले के दौरे के आधार पर उप महानिदेशक एएसओई के अनुमोदन हेतु एक नोट प्रस्तुत कर दिया था।

18 जून 2009 को आयोति बैठक के दौरान महानिदेशक एएआई ने निदेशक (एनसीएफ) को निदेशित किया कि वे एसए हैदरबाद सर्किल के साथ मुद्दे पर बात करें और जितना जल्दी से जल्दी संभव हो राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण के मामले को सुलझा लें।

एस ए हैदराबाद सर्किल ने बताया कि राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकरण से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की कीमत का आंकलन कर लिया गया है और बजट के अनुमोदन हेतु औपचारिक प्रस्ताव 19 अगस्त 2009 को महानिदेशक -एएसआई को भेजा जा चुका है। महानिदेशक एएसआई ने दिसंबर 2009 के तीसरे हफ्ते में भूमि अधिग्रहण के लिए 170 लाख रूपयों की प्रशासनीय अनुमोदन प्रदान कर दिया। एसए हैदराबाद ने 6 जनवरी 2010 को एक विस्तृत आकलन जमा करने के साथ एएसआई (मुख्यालय) के द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी दिनांक 19 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत कर दी थी।

वैशाली (बिहार)- 24 नवंबर, 2008 में आईओएफ की 10वीं बैठक के दौरान आईओएफ की परियोजनाओं की सूची में वैशाली को शामिल करने का निर्णय लिया। यह भी तय किया गया कि इस परियोजना के एक भाग के रूप में कोलहुआ स्थल को भी शामिल करने की संभावनाएं जांच ली जाएं।

निदेशक (संरक्षण) सीईओ, ओआईएफ तथा एएसआई के संबंधित अधिकारियों के द्वारा 11 फरवरी 2009 को स्थल का दौरा किया गया। 25 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक के दौरान एवं अनुमती बैठकों में स्थलों के बारे में चर्चा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि वैशाली एवं कोलहुआ में उपलब्ध भूमि का जी पी आर एस सर्वेक्षण किया जाए।

18 जून, 2009 को आयोजित बैठक के दौरान महानिदेशक एएसआई ने अतिरिक्त महानिदेशक से कहा कि स्थल का दौरा करें और बकाया मुद्दों पर चर्चा के लिए बिहार राज्य सरकार के पर्यटन के प्रधान सचिव से बैठक करें।

27 जनवरी, 2010 को एएसआई (मुख्यालय) में एक परियोजना समीक्षा बैठक अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इस बैठक में एएसआई (मुख्यालय) तथा बिहार परिक्षेत्र के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक के दौरान स्थल के पर्यवेक्षण के आधार के साथ-साथ परियोजना के कार्य लिए संभावित संभावना के बारे में आईओएफ द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही इस बैठक में एसए पटना के द्वारा वैशाली को हुआ तथा राजा विशाल का गढ़ की अपेक्षाओं एवं विभिन्न मुद्दों एक प्रस्तुति दी गई और यह तय किया गया कि फरवरी 2010 में स्थल का एक अन्य दौरा किया जाए।

योजना के अनुसार राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय, के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त महानिदेशक एएसआई, आईओएफ, विशेषज्ञ सदस्य तथा एएसआई अधिकारियों के द्वारा स्थल का दौरा किया गया। एएसआई ने अनुरोध किया कि वैशाली में जीपीआरएस प्रारंभ करने के लिए हस्तक्षेप की जानेवाली जगह (क्षेत्र) को अंतिम रूप दिया जाए।

महानिदेशक, एस:आई: के कार्यालय में 29 अप्रैल 2010 को पीआईसी की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि वैशाली और खजुराहो में संग्रहालय की विकास योजना एवं संकल्पना योजना की तैयारी में आईओएफ को भी आमंत्रित किया जाए निदेशक (संग्रहालय), एएसआई (मुख्यालय) से संग्रहालय परियोजना को विस्तृत प्रयोजन अपेक्षित है।

जैसलमेर किला, राजस्थान

जैसलमेर का किला राजस्थान में सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है, यद्यपि चित्तौड़गढ़ सबसे पुराना है। किले का निर्माण 1156 ई. में हुआ था। जैसलमेर कस्बा अपरिमित ऐतिहासिक महत्व का स्थल है चूंकि यह मिश्र, अरब, पर्सिया (फारस) तथा भारत के बीच व्यापार की कड़ी का एक हिस्सा है।

जैसलमेर किला, राजस्थान के संरक्षण के लिए 13 अगस्त, 2003 को एनसीएफ, एएसआई तथा विश्व स्मारक निधि के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। एएसआई ने परियोजना लागत में 4.00 करोड़ रूपये का अंशदान किया और विश्व स्मारक निधि (डब्लू एम एफ) ने इस प्रयोजनार्थ 500,000 डॉलर (लगभग 2.15 करोड़ रू) का अंशदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाई।

इस किले की पिचिंग दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ट्रायल के आधार पर 10 एवं 15 मी. के दो खंड़ों को चिंहित किया गया है। ताकि इसके जीर्णोद्धार के लिए उपयुक्त प्रविधि तथा वास्तविक लागत का पता लगाया जाए।

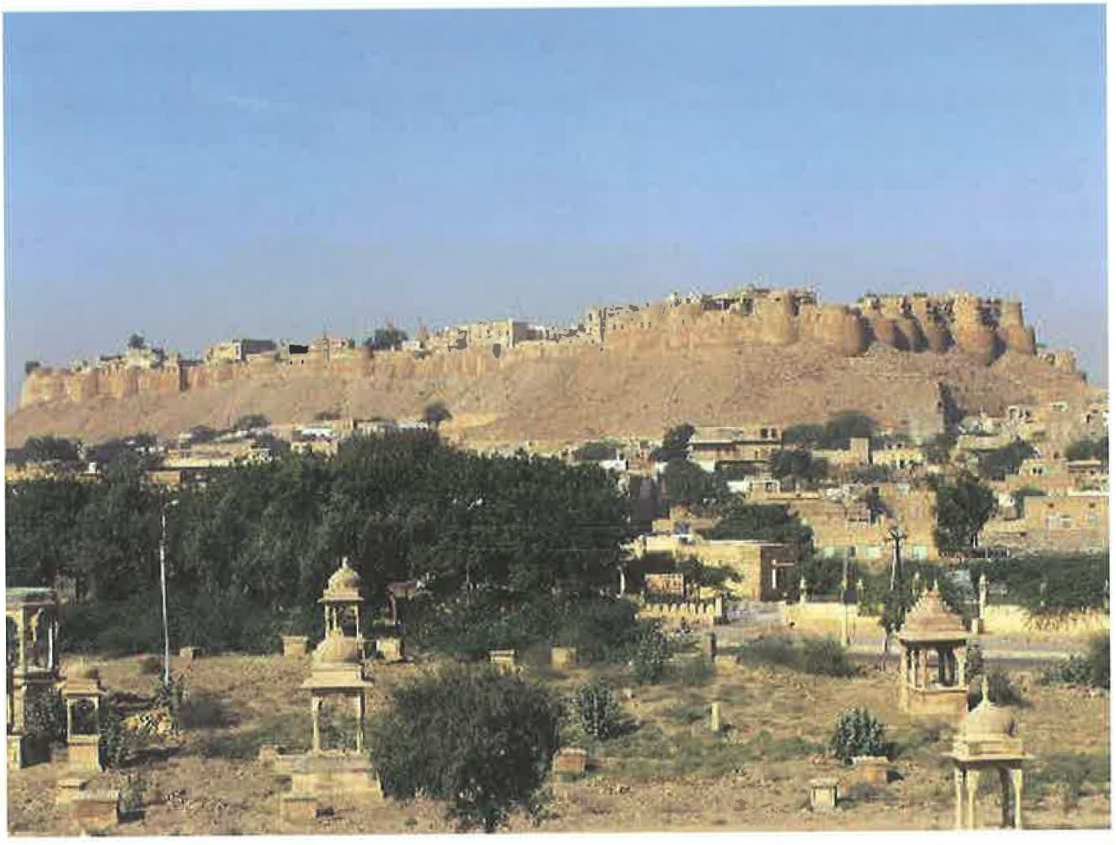

लोधी गार्डन परियोजना, नई दिल्ली

दिल्ली के मध्य में, लोधी गार्डन के अंतर्गत अनेकों लोधी मकबरे स्थित है। बड़ी एवं ऊंची-ऊंची मेहराब एवं गुंबदों तथा बड़े-बड़े विशाल बरामदों के साथ ये सैय्यद वास्तुशिल्प शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण है।

लोधी का मकबरा, नई दिल्ली के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु 10 जनवरी, 2006 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि, एएसआई तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. को 4 किस्तों में कुल 1 करोड़ रू. की राशि का अंशदान देना है।

चूंकि लोधी गार्डन के अंदर चूना चक्की, गड्ढा एवं कार्यस्थल स्टोर स्थापित करने की जगह नहीं हैं अत: इस उद्वदेश्य हेतु एक उपयुक्त स्थान की तलाश की जानी है। दिल्ली सर्किल के एएसआई के इन्टैक ने सहयोग प्रदान किया और सामग्री तैयारी के लिए जगह का चुनाव किया।

9 मई को मुहम्मद शाह के मकबरे के संरक्षण का कार्य स्कैफफोल्डिंग लगाने एवं प्लास्टर उखाड़ने के साथ शुरू किया गया जिसमें गुंबदों एवं कमल स्तूपिकाओं (कलशों) का प्लास्टर पहले निकाला गया। जब स्तूपिकाओं पर कार्य शुरू किया गया तो पाया गया कि कमलों का ऊपर हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई स्थानों पर स्तूपिकाओं के आधार पर लगे पत्थर गायब है। वर्तमान में प्लास्टर कार्य जारी है। बिनिर्दिष्ट अनुमोदनानुसार समिश्रित चूना (चूना: सुर्खी: बालू) 1:1:1 की सामग्री प्लास्टर के लिए प्रयुक्त की गई है।

गुंबदों का प्लास्टर उखाड़ने में लगभग 25 दिनों का समय लगा। पहले भी गुंबदों का कई बार प्लास्टर किया गया है। गुंबदों की सतहों को ध्यान से एवं गहनता के साथ पर्यवेक्षण किया गया और प्लास्टर की सभी उखड़ी व कमजोर सतहों को धीरे-धीरे उखाड़ा गया। पर्याप्त ध्यान रखने के कारण, भारी मात्र में गुंबद से प्लास्टर की पपड़ी गिरने के बावजूद छत के साथ जुड़ी छतरी नष्ट नहीं हुई। कई जगहों पर, खराब प्लास्टर की 50 मिमी. तक पर्त निकालने के बाद मूल सतह को बहुत मजबूत पया गया। कई जगहों पर लगभग 150 मिमी की मोटी खराब प्लास्टर की पर्तें ढेर की ढेर निकल (उखड) आई उनके नीचे की पर्तें कई खास जगहों पर मिट्टी के प्लास्टर का समिश्रण पाया गया। ऐसी जगहों पर प्लास्टर का काम शुरू करने से पहले मिट्टी का प्लास्टर उखाड़े जाने की आवश्यकता थी।

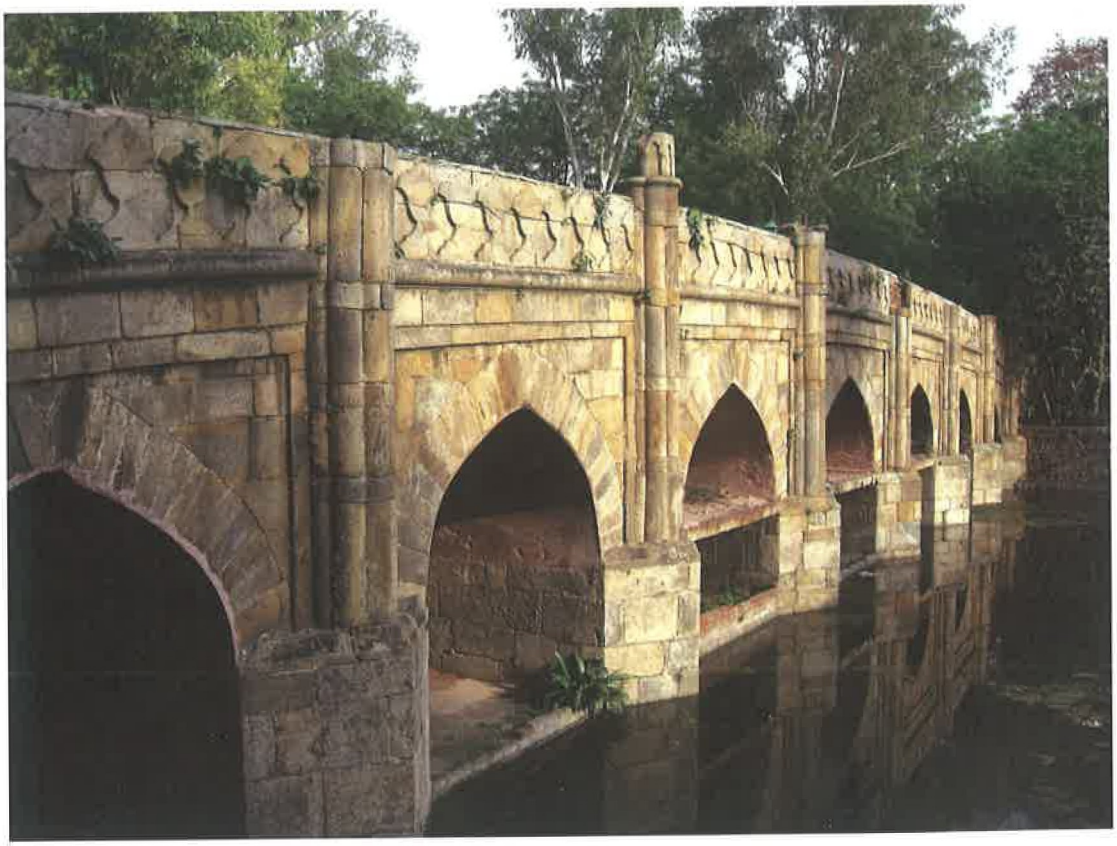

इसलिए अनुमोदन के अनुसार 40 मिमी. का पुन: प्लास्टर किए जाने के स्थान पर वास्तविक प्लास्टर की मोटाई प्रत्येक दीवार में भिन्न-भिन्न 50 मिमी. से लेकर 300 मिमी. तक की गई। जुलाई 2009 में विनिर्दिष्ट मिश्रण 1:1:1 की बदलने की जरूरत होगी क्योंकि अब चूना गारा के साथ ब्रिक जीरा भी प्रयुक्त करने की जरूरत होगी। काम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे कार्य की प्रगति दिख रही है, यद्यपि बरसात के कारण कई बार कार्य बाधित हुआ।

चूना-मटी फिनिश के साथ सबसे ऊपर के कमलों (कलशों) का काम पूरा हो चुका है। गुंबदों का प्लास्टर भी पूरा हो चुका है एवं चूना-पुट्टी की फाइनल फिनिश के द्वारा एकसार कर दिया गया है। वे जगहें, जहां पर भारी मात्र में प्लास्टर की क्षति हुई थी (150-300 मिमी. की मोटाई तक) उन्हें अंडर लेयर में बिक्र जीरा के इस्तेमाल से ठीक प्रकार से पुन: प्लास्टर किया जा रहा है। एक बार मुख्य गुंबद का प्रमुख प्लास्टर का कार्य पूरा हो जाने के बाद, छतरी-गुंबदें मरम्मत के लिए हाथ में लिया गया। मुहम्मद शाह की गुंबद की मरम्मत का कार्य इन्टैक के द्वारा अक्टूबर 2009 तक पूरा कर लिया गया। एएसआई ने भुगतान अनुमादित किया एवं बड़ा गुंबद पर कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया।

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पद्मश्री डॉ॰ डी.जी. केलकर (896-1990) के संग्रहों का संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 20,000 से अधिक अमूल्य दैनिंदन वस्तुएं हैं जो पूरे भारत आम घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

20,000 से अधिक शिल्प तथ्यों के संरक्षण एवं परिक्षण तथा संग्रहालय के लिए नए भवन के निर्माण हेतु 12 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। 27 अगस्त, 2008 को यह समझौता ज्ञापन पुनर्नवीकृत किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों पक्ष इस प्रयोजनार्थ दान राशि जुटाने का संयुक्त प्रयास करेंगे।

''विश्व में भारत की विरासत का प्रसार'' नामक परियोजना को जर्मन-गणराज्य के विदेश कार्यालय द्वारा वित्त पोषित किया गया तथा इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बिन्दु संरक्षण स्टूडियों एवं परिरक्षण कार्य का उन्नयन था।

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन केसों का निर्माण करने के लिए एक मास्टर प्लान तथा तकनीकी डिजायन तैयार किया है। इन प्रदर्शन केसों के प्रयोक्ता मैत्री (हितैशी) डिजायन एवं निर्माण से इन्हें इधर-उधर ले जाने में सुगमता होगी।

संग्रहालय ने विशेष रूप से तैयार फ्लैट (चपटे) एवं स्पॉट सीएफएल (कांपैक्ट क्लूरोसेंट लैम्पस), विशेष रूप से धातु एवं प्रस्तर वस्तुओं के लिए ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुये प्रयुक्त किया है इसके साथ ही इनका जीवन लंबा एवं वीथिकाओं (गैलरी) में अपेक्षित प्रकाश भी मिला है।

आर डी डाटा परियोजना से संग्रहालय को इसके कार्यकलाप आसान बनाने हेतु वैक्यूम क्लीनर, स्वत: चालित फर्श पोछक (स्क्रैविंग) तथा धुलाई उपस्कर, डी हयुमिडीफायर (आद्रता रोधक), वाटर कूलर तथा जलशोधक एवं वातानुकूलन प्रणाली, एलसीडी टेलीविजन के साथ-साथ होम थियेटर, रंगीन लेजर प्रिंटर्स तथा फ्लैट बेड स्कैनर जैसे उपस्करों की प्राप्ति हुई है। इससे संग्रहालय का कामकाज को सहज एवं सुगम बनाने में मदद मिली है।

लौरिया नंदनगढ़, बिहार

लौरिया नंदनगढ़, बिहार राज्य के स्थित है, जो सम्राट अशोक द्वारा यहां खड़े किए गए ''अशोक स्तंभों'' के लिए प्रसिद है।

बिहार में स्थित लौरिया, नंदनगढ़, चंकीगढ़ तथा पश्चिमी चंपारन जिले में रामपुरवा के स्मारकों एवं पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं एवं उपवनों को विकास हेतु 18 दिसंबर, 2007 को मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट (सयंत्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

समझौता ज्ञापन के तहत मैसर्स सेल-बोकारो 50.00 लाख रूपये का अधिकतम अंशदान देने को सहमत हो गया। परियोजना कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक जनवरी 2009 में आयोजित की गई तथा परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलन की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

लौरिया, नंदनगढ़ के विशाल स्तूपों पर पर्यटक सुख सुविधाएं के विकास के अंतर्गत उपवन (बाग) में बेचों, पेय जल के लिये कियोस्क लाल ग्रेनाइट पत्थर पर सूचना पट्ट जिसमें हिंदी व अंग्रेजी में संदेश उकेरे गए हो, आदि शामिल होगा, यह भी प्रस्तावित है कि सरोवर का कीचड़, काई, शैवाल (लाइकेन), सघन वानस्पतिक वृद्धि एवं कचरा, 30 सेमी गहराई तक मिट्टी/कीचड़ को निकालने के साथ मरम्मत तथा अगल-बगल के ढलानों की मरम्मत करना तथा स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ठिकाने लगाना (निपटान) तथा सरोवर के आस-पास एक पगडंडी प्रदान करना।

गोल गुंबद, बीजापुर, कर्नाटक

गोल गुंबद, आदिल शाह वंश के 7वें शासक मुहम्मद आदिल शाह (1627 56) का मकबरा है। यह आदिल शाही वास्तु शिल्प के उत्कृष्ट नमूने के रूप में, बीजापुर का यह विशाल गुंबज एक भव्य एतिहासिक स्थल है। गोल गुंबज का निर्माण 1659 में पूरा हुआ और इस अद्भुत वास्तुशिल्प को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा।

गोल गुंबज, बीजापुर के संरक्षण व अनुरक्षण के लिए 22 फरवरी, 2008 को मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया इस परियोजना के लिए 50 लाख रूपये देने पर सहमत हुआ। परियोजना कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गई और वित्त वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली मदों को अंतिम रूप दिया गया। विस्तृत लागत प्राक्कलन एवं डिजायन प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

वजीरपुर का गुंबद, नई दिल्ली

वजीरपुर का गुंबद, मुनिरका, नई दिल्ली के संरक्षण, परिक्षण, सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 28 मार्च, 2008 का मैसर्स पीईसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

पत्थरों के टुकड़ों की कारीगरी से बनाया गया यह गुंबद लोधी काल (ई. सन् 1451-1526) का है, जिस पर मूल रूप से प्लास्टर किया गया था तथा इसमें तीन तरफ से मेहराब के आकार के तीन द्वार हैं, पश्चिमी भाग पर केन्द्रीय मेहराब मार्ग में मेहराब युक्त आले बने हैं। इस गुंबद के केन्द्र में (अंदर) एक पत्थर की कब्र स्थित है।

मैसर्स पीईसी लि. इस परियोजना की लागत के 25 लाख रू० की राशि देने पर सहमत हैं। परियोजना कार्यान्वयन समिति की एक बैठक की गई और एएसआई तथा मैसर्स पीईसी लि. के साथ संयुक्त रूप से स्थल का दौरा करने का निर्णय लिया गया ताकि इस परियोजना में, कार्य के प्रयोजन का दायरा तय हो जाए। जनवरी 2009 को एक संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा इस दल ने इस स्मारक के परिक्षण की अच्छी स्थिति को देखते हुये, अन्य स्मारक को चुनने का निर्णय लिया। इस परियोजना के तहत संरक्षित किए जाने वाले स्मारक की तलाश की जा रही है।

भारतीय संस्कृति परिषद की सलाह से ए एस आई ने मैसर्स पीईसी लि. के लिए यूसुफ क़ताल स्मारक, दिल्ली को प्रस्तावित किया है। पीईसी अपने बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात अपनी सहमति अपनी सहमति प्रदान करेगा। तत्पश्चात एनसीएफ इस मुद्दे पर कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

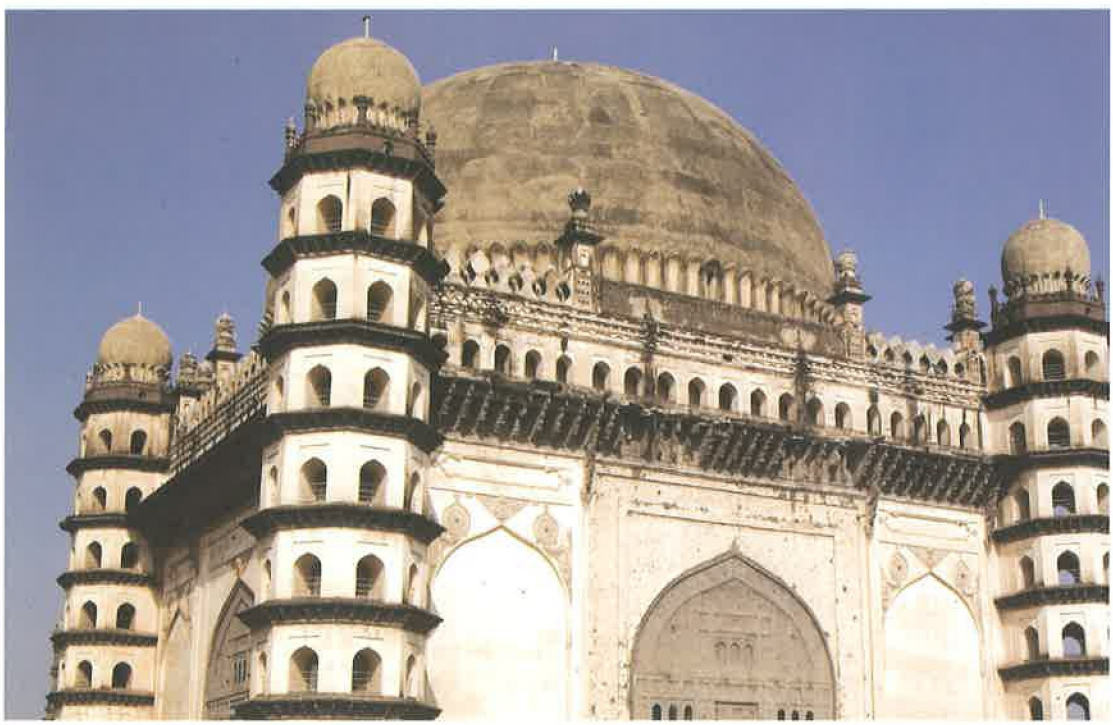

आलम बाज़ार मठ, कोलकाता

आलम बाज़ार, मठ की स्थापना 1892 में हुई थी। यहां पर स्वामी अभेदानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णानदं, गौरी. भां तथा अन्य चेले/धार्मिक एकत्र हुए और ध्यानयोग, धार्मिक-अनुष्ठान, लोक कल्याण के कार्य एवं पूजा पाठ आदि के लिए आध्यात्मिक जीवन गुजारा, यह एक ऐतिहासिक स्थल है।

जैसा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित धर्म-संसद में भाग लेने के पश्चात इसी मठ पर वापस आए थे। ''आत्मारामेर कौता (श्री रामकृष्ण की अस्थि भस्म) यहां पर रखी गई है तथा यहां पर इनकी पूजा तब तक होती रही, जब तक कि उन्हें 1898 में नीलांबर मुखर्जी गार्डन हाउस, बेलूर में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

आलम बाज़ार मठ कोलकाता के साथ नवीकरण, जीर्णोद्धार एवं परिक्षण के लिए 16 अक्टूबर, 2008 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

पहली परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भवन के एक मूर्ति युक्त हिस्से के संरक्षण का कार्य शुरू किया जा सकता है। इसलिए कोलकाता सर्किल के एएसआई के पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया कि दस्तावेज तैयार करें और धरोहर कार्य के रूप में संरक्षण कार्य के हिस्से को आगे बढ़ाया जाए।

इस समय बैंक के संयुक्त खाते में कुल निधिा 89,88,941/-रू० जमा है, जिसमें से एनसीएफ ने 60 लाख रू० का अशदान किया है तथा शेष राशि 29,88,941/-रू० मठ द्वारा दान में दी गई है।

वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.)

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि के संलग्न तुलन-पत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की है। लेखा-परीक्षा का कार्य 2010-11 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा काम, हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन (पतियों के अनुपालन, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के संबंध में केवल लेखांकन प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां विहित हैं। कानून, नियमों तथा विनियमों; औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखा-परीक्षा की टिप्पणियों की सूचना पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षक रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, अपनी लेखा-परीक्षा सामान्यतया भारत में अपनाए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनाए और कार्य करें कि संबंधित वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुपरक गलत उल्लेख नहीं है। परीक्षण आधार पर लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्यों की जांच करना शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती का मानांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत का तार्किक आधार है।

4. हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:

   i. हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित जिन तुलन-पत्र/आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की गई है उन्हें वित्त मंत्रलय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किया गया है।

   iii. हमारे विचार में जहां तक हमारे द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति निधि के बही-खातों तथा अन्य संगत रिकार्डों की जांच का संबंध है उससे यह प्रतीत होता है कि निधि ने उनका समुचित रखरखाव किया है।

   iv. हम यहॉ ये सूचित करते हैं कि :

   क. सामान्य

   i) वाउचर प्रस्तुत न करना

   राष्ट्रीय संस्कृति निधि, परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए दान प्राप्त कर रही है और बैंक खाते, सदस्य-सचिव और दानकर्ता दोनों के नाम से खोले जाते हैं। वाउचर तथा लेखा परीक्षित लेखे दानकर्ता के पास होते हैं तथा इस आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि कौन से अधिशेष मुख्य खातों में डाले गए हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित वाउचर लेखा-परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

(ii) काटे गए टीडीएस की वसूली प्रभावी नहीं

तुलन-पत्र की अनुसूची 11 में 61.30 लाख रू. की राशि को वसूली योग्य टीडीएस दर्शाया है जो कि विभिन्न बैंकों से प्राप्त होने वाले ब्याज भुगतान से काटा गया है, किन्तु आयकर विभाग से वापसी योग्य है, क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृति निधि आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत छूट प्राप्त है। बैंकों द्वारा काटे गए टीडीएस से बचा जा सकता था, यदि राष्ट्रीय संस्कृति निधि के द्वारा आयकर छूट प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत किए जाते। इसमें वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए क्रमश: 23.57 लाख रु. एवं 19.80 लाख रु. की राशि तथा वर्ष 2009-10 के लिए 17.93 लाख रु. की राशि शामिल है, जो कि इस राशि की वसूली के लिए प्रयासों की कमी को दर्शाता है।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2009-10 के दौरान 209.79 लाख रु. की राष्ट्रीय संस्कृति निधि की अपनी प्रप्तियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय संस्कृति निधि 26.48 लाख रुपये की राशि का उपयोग कर सकता था। यथा 31 मार्च, 2010 को 183.23 लाख रु. की राशि शेष बची है।

ग. प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, उन्हें अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के द्वारा उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति निधि के ध्यान में लाया गया।

घ. प्रतिक्रिया की कमी

निर्धारित अवधि के भीतर प्रबंधन ने अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ड्राफ्ट-जवाब बनाकर नहीं जमा कराया।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम यह सूचना देते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित जिस तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की गयी है वे बही खातों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे विचार और हमारी पूरी जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण सामान्यतया भारत में अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक यह राष्ट्रीय संस्कृति निधि के कार्यो के संबंध में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित है।

ख. जहां तक यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के सरप्लस आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

ह०/-

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई 2011

विपुल कुमार एवं क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

XV5352/A, शोरा कोठी,
पहाड़ गंज, नई दिल्ली – 110024

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तुलनपत्र तथा उसी तारीख के प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा आय-व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की है और हम निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं कि -

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हासिल किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, समिति ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित बही-खाते रखे हैं जैसाकि इन लेखा बहियों की परीक्षा से ज्ञात होता है।

ग) इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा, बही-खातों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे, जो उन पर लिखी टिप्पणियों के साथ पठनीय है, न्यायसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :-

i) 31 मार्च, 2010 को विद्यमान संगठन की गतिविधियों के तुलनपत्र के संबंध में

ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निधि के व्यय से अधिक आय के साथ निधि के आय-व्यय के संबंध में,

iii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निधि के नकदी प्रवाह का संचलन निधि के प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में।

कृते विपुल कुमार एवं क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह०/-
(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20 अक्तूबर, 2010

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि (रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
अक्षय/पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
अक्षय/पूंजीगत निधि	1	303,977,838	301,817,691
आरक्षिति और अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	104,090,410	76,436,459
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित उधार देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	11,509,298	975,365
कुल		**419,577,546**	**379,229,515**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	104,749	151,103
निवेश-उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	419,472,797	379,078,412
विविध व्यय		-	-
(बट्टे खाते डाले जाने अथवा समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			
कुल		**419,577,546**	**379,229,515**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह0/-
(भागीदार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अक्तूबर, 2010

राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा और
उनकी ओर से

ह0/-
(सदस्य सचिव)

31.3.2010 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

राशि (रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12	–	–
अनुदान/सहायिकियां	13	–	–
शुल्क/अंशदान	14	–	–
निवेशों से आय (निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधि से निवेशों पर आय)	15	–	–
स्वामित्व अधिकार (रॉयल्टी), प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	20,975,587	30,218,922
अन्य आय	18	–	–
तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/(कमी) तथा चालू कार्य	19	–	–
कुल (क)		**20,975,587**	30,218,922
व्यय			
स्थापना व्यय	20	**971,461**	666,570
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	**979,921**	630,588
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	**650,000**	7,250,000
ब्याज	23	–	–
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल कुल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)		**46,354**	52,222
कुल (ख)		**2,647,736**	8,599,380
व्यय की तुलना में अधिक आय के कारण शेष (क-ख)		**18,327,851**	21,619,542
विशेष आरक्षित निधि में अंतरित (प्रत्येक का विशिष्ट उल्लेख करें)		–	–
अक्षय निधि (पूंजीगत निधि में अगनीत शेष जो अधिशेष/घाटे का परिणाम है)		**18,327,851**	21,619,542
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	–	–
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	–	–

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार
कृते विपुल कुमार एवं क०
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह0/-
(भागीदार)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा और
उनकी ओर से

ह0/-
(सदस्य सचिव)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अक्तूबर, 2010

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 1 – अक्षय/पूंजीगत निधि

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	----	301,871,691	----	248,298,149
जोड़ें – अक्षय/पूंजीगत निधि में अंशदान			31,900,000	
जोड़ें/(घटाएं) – आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष	18,327,851		21,619,542	53,519,542
घटाएं	16,167,704	2,160,147		
वर्ष के अंत में शेष		**303,977,838**		**301,817,691**

अनुसूची – 2 – आरक्षिति और अक्षय निधि

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. **पूंजीगत आरक्षित निधि**				
अंतिम लेखा अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं – वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
2. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि**				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतिय	-	-	-	-
3. **विशेष आरक्षित निधि**				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
4. **सामान्य आरक्षित निधि**				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
कुल				

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 3 – उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

राशि (रुपयों में)

	निधि वार ब्यौरा				
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का आरंभिक शेष				76,436,459	82,486,053
ख) निधि में परिवर्धन					
i) दान अनुदान				11,824,280	15,072,312
ii) निधि में से किए गए निवेशों से आय				18,086,420	-
iii) अन्य परिवर्धन (स्वरूप का विशिष्ट उल्लेख करें)				506,341	3,619,482
योग (ख)				**30,417,041**	**18,691,794**
योग (क+ख)				**106,853,500**	**101,177,847**
(ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय					
i. पूंजीगत व्यय					
- स्थायी परिसंपत्तियां				-	-
- अन्य				-	-
योग				-	-
i. राजस्व व्यय					
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि				-	-
- किराया				-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यये				705	2,364
- परियोजना खर्च				2,762,385	24,739,023
योग				**2,763,090**	**24,741,387**
योग (ग)				**2,763,090**	**24,741,387**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)				**104,090,410**	**76,436,459**

टिप्पण :

1) अनुदानों से संबंद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना गत निधि पृथक निधि के रूप में दर्शाई जाएगी और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुबंध – अनुसूची – 3

निधि वार ब्यौरा

	परियोजना बाल अकादमी, दुर्गापुर	परियोजना हुमायुं का मकबरा, दिल्ली	परियोजना जंतर-मंतर, दिल्ली	परियोजना ज्ञान प्रवाह, कोलकाता	परियोजना कर्ना. टक चित्र कला परिषद, बंगलौर	परियोजना क्रिष्कंधा न्यास
चालू वर्ष	1	2	3	4	5	6
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**75,193**	**14,874**	**654,758**	**21038**	**1,000**	**108,401**
ख) निधि में परिवर्धन						
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
iii अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	2,655	-	23,118	-	-	3,827
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-
योग (ख)	**2,655**	**-**	**23,118**	**-**	**-**	**3,827**
योग (क+ख)	**77,849**	**14,874**	**677,876**	**21,038**	**1,000**	**112,228**
(ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्तिया	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-		-	-	-
योग						
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	-
योग						
योग (ग)						
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**77,849**	**14,874**	**677,876**	**21,038**	**1,000**	**112,228**
निधियों का योग	**77,849**	**14,874**	**677,876**	**21,038**	**1,000**	**112,228**
गत वर्ष	1	2	3	4	5	6
क) निधि का प्रारंभिक शेष	25,066	443,119	642,608	14,731,700	1,000	105,542
ख) निधि में परिवर्धन						
i. दान/अनुदान	50,000	-	-	200,000	-	-
ii. निधि में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	999	-	22,447	-	-	3,696
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वपि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	**50,999**	**-**	**22,447**	**200,000**	**-**	**3,696**
कुल (क+ख)	**76,065**	**443,119**	**665,054**	**14,931,700**	**1,000**	**109,238**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व खर्च						
- वेतन मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	872	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	428,245	10,296	14,910,662	-	837
योग	**872**	**428,245**	**10,296**	**14,910,662**	**-**	**837**
योग (ग)	**872**	**428,245**	**10,296**	**14,910,662**	**-**	**837**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**75,193**	**14,874**	**654,758**	**21,038**	**1,000**	**108,401**
निधियों का योग	**75,193**	**14,874**	**654,758**	**21,038**	**1,000**	**108,401**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुबंध – अनुसूची – 3 (जारी...)

निधि वार ब्यौरा

	परियोजना रमण महर्षि पार्ट-1	परियोजना रमण महर्षि पार्ट-2	परियोजना शनिवार वाड़ा, पुणे	परियोजना राजा दिनकर केलकर संग्रहालय	परियोजना डी.जी. जैसलमेल किला
चालू वर्ष	7	8	9	10	11
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**873**	**3,607**	**2,680,247**	**1,242,270**	**49,100,242**
ख) निधि में परिवर्धन	-	-	546,215	-	-
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	18,086,420
ii. निधि में से किए गए निवेशों से आय	31	-	45,089	46,770	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	-	-	-	-
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)					
- मंच किराया					
योग (ख)	**31**	**-**	**591,304**	**46,770**	**18,086,420**
योग (क+ख)	**904**	**3,607**	**3,271,551**	**1,289,040**	**67,186,662**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय					
i. पूंजीगत व्यय					
- स्थायी परिसंपत्तियां					
- अन्य					
योग					
ii. राजस्व व्यय					
- वेतन मजदूरी तथा भत्ते आदि					
- किराया					
- अन्य प्रशासनिक व्यय					
- परियोजना व्यय	-	-	477,398	2,929	2,282,058
योग	-	-	477,398	2,929	2,282,058
योग (ग)	-	-	477,398	2,929	2,282,058
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**904**	**3,607**	**2,794,153**	**1,286,111**	**64,904,604**
निधियों का योग	**904**	**3,607**	**2,794,153**	**1,286,111**	**64,904,604**
गत वर्ष	7	8	9	10	11
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**49,582**	**14,676**	**3,601,772**	**1,166,797**	**49,279,049**
ख) निधि में परिवर्धन					
i. दान/अनुदान	27,000	1,050,000	1,394,858	23,502	-
ii. निधि में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	791	3,667	66,859	51,971	3,135,984
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-
योग (ख)	**27,791**	**1,053,667**	**1,461,718**	**75,473**	**3,135,984**
योग (क+ख)	**77,373**	**1,068,343**	**5,063,490**	**1,242,270**	**52,425,033**
(ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय					
i पूंजीगत व्यय					
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय					
- वेतन मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-		-
- किराया	-	-	-		-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-		-
- परियोजना व्यय	76,500	1,064,736	2,383,243	-	3,314,792
योग	**76,500**	**1,064,736**	**2,383,243**	-	**3,314,792**
योग (ग)	**76,500**	**1,064,736**	**2,383,243**	-	**3,314,792**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**873**	**3,607**	**2,680,247**	**1,242,270**	**49,100,242**
निधियों का योग	**873**	**3,607**	**2,680,247**	**1,242,270**	**49,100,242**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुबंध – अनुसूची – 3 (जारी...)

निधि वार ब्यौरा

	परियोजना चौधरी चरण सिंह जन्म शताब्दी	परियोजना के.एल. सहगल	परियोजना रामलीला	परियोजना देवाहूति दामोदर स्व. राज न्यास	परियोजना लोधी टोम्ब	परियोजना लौरिया नंदनगढ़	परियोजना आलम ब्राज़ार मठ, कोलकाता
चालू वर्ष	12	13	14	15	16	17	18
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**9,000,000**	**437,519**	**659,762**	**6,721**	**38,960**	**2,504,467**	**6,761,714**
ख) निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	(9,000,000)	(437,519)	(659,762)	-	2,500,000	-	1,484,714
ii. निधि में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	238	16,214	-	252,210
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया							
योग (ख)	**(9,000,000)**	**(437,519)**	**(659,762)**	**238**	**2,516,214**	**2,504,467**	**1,736,924**
योग (क+ख)	-	-	-	**6,959**	**2,555,174**	**2,504,467**	**8,498,638**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां							
- अन्य							
योग							
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन मजदूरी तथा भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक व्यय							705
- परियोजना व्यय							
योग							**705**
योग (ग)							**705**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	-	-	-	**6,959**	**2,555,174**	**2,504,467**	**8,497,933**
निधियों का योग	-	-	-	**6,959**	**2,555,174**	**2,504,467**	**8,497,933**
गत वर्ष	12	13	14	15	16	17	18
क) निधि का प्रारंभिक शेष	**9,000,000**	**437,519**	**632,554**	**55,068**	**2,300,000**	-	-
ख) निधि में परिवर्धन						**2,500,000**	**6,726,952**
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	27,545	1,653	239,510	4,467	35,000
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	
योग (ख)	-	-	**27,545**	**1,653**	**239,510**	**2,504,467**	**6,761,952**
योग (क+ख)	**9,000,000**	**437,519**	**660,099**	**56,721**	**239,510**	**2,504,467**	**6,761,952**
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय						-	-
i. पूंजीगत व्यय						-	-
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय						-	-
- वेतन मजदूरी तथा भत्ते आदि						-	-
- किराया	-	-		-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	337	-	-	-	238
- परियोजना व्यय	-	-	-	50,000	2,500,550	-	-
योग	-	-	**337**	**50,000**	**2,500,550**	-	**238**
योग (ग)	-	-	**337**	**50,000**	**2,500,550**		**238**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**9,000,000**	**437,519**	**659,762**	**6,721**	**38,960**	**2,504,467**	**6,761,714**
निधियों का योग	**9,000,000**	**437,519**	**659,762**	**6,721**	**38,960**	**2,504,467**	**6,761,714**

यथा 31.03.2010 के तुलनपत्र के अनुसूची प्रपत्र अंश

अनुबंध – अनुसूची – 3 (जारी...)

निधि वार ब्यौरा

	हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली मनाली	गोल गुंबद बीजापुर, एस.टी.सी. परियोजना	वजीरपुर का का गुंबद पीडब्ल्यूसी परियोजना	तुगलकाबाद किला परियोजना	हम्पी फाउंडेशन परियोजना	इंडियन ऑइल फाउंडेशन परियोजना	योग
चालू वर्ष	19	20	21	22	23	24	
क) निधियों का अथशेष	**2,000,000**	**1,023,394**	**101,418**	-	-	-	**76,436,459**
ख) निधियों में परिवर्धान	-	-	-	-	-	-	-
1. दान/अनुदान	70,613	36,132		3,000,000	4,024,900	10,365,732	11,824,280
2. निधियों के खाते पर किए गए	-	-		-			18,086,420
निवेश से आय	-	-		-	-	-	
3. अन्य परिवर्धान - बैंक ब्याज			3,581	-	5,863	-	506,341
- टिकटों की बिक्री (एल एंड एस शो)			-	-	-	-	-
- मंच किराया प्राप्ति							
योग (ख)	**70,613**	**36,132**	**3,581**	**3,000,000**	**4,630,763**	**10,365,732**	
योग (क+ख)	**2,070,613**	**1,059,526**	**104,999**	**3,000,000**	**4,036,626**	**10,365,732**	**106,853,500**
ग) निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय							
1. पूंजीगत व्यय							
- अचल आस्तियां							
- अन्य							
योग							
2. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक व्यय							705
- परियोजना व्यय							2,762,385
योग							**2,763,090**
कुल (ग)							**2,763,090**
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख-ग)	**2,070,613**	**1,059,526**	**104,999**			**10,365,732**	**104,090,410**
निधियों का योग	**2,070,613**	**1,059,526**	**104,999**	**3,000,000**	**4,036,626**	**10,365,732**	**104,090,410**
गत वर्ष	19	20	21	22	23	24	
अ) निधियों का अथशेष	-	-	-				**82,486,053**
ब) निधियों में परिवर्धान							
1. दान/अनुदान	2,000,000	1,000,000	100,000				15,072,312
2. निधियों के खाते पर किए गए निवेश से आय	-	-	-				-
3. अन्य परिवर्धान/बैंक ब्याज	-	23,434	1,458				3,619,482
- टिकटों की बिक्री (एल एंड एस शो)	-	-	-				-
- मंच किराया प्राप्ति	-	-	-				-
योग (ख)	**2,000,000**	**1,023,434**	**101,458**				**18,691,794**
कुल (क+ख)	**2,000,000**	**1,023,434**	**101,458**				**101,177,847**
ग) निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय							
1. पूंजीगत व्यय	-	-	-				-
- अचल आस्तियां	-	-	-				-
- अन्य	-	-	-				-
योग							
2. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-					-
- किराया	-	-	-				-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	40	40				2,364
- परियोजना व्यय	-	40	40				24,739,023
योग	-	-	-				**24,741,387**
कुल (ग)	-	**40**	**40**				-
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख-ग)	**2,000,000**	**1,023,394**	**101,418**				**76,436,459**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1 केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		-
क) सावधि ऋण	- -	-
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	- -	- -
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
– प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	-
– प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	-	- -
5. अन्य संस्थान तथा अभिकरण	-	-
6 ऋण-पत्र और बंध-पत्र	-	-
7 अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-
टिप्पण – एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार राशियां

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	
ख) अन्य ऋण (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	
5. अन्य संस्थान तथा अभिकरण	-	-
6. ऋण-पत्र और बंध-पत्र	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 6 – आस्थगित उधार देयताएं

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा प्राप्त प्रतिग्रहण	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. प्राप्तियां				-
2. ववविध ऋणदाता				
क) माल के लिए			-	
ख) अन्य (परियोजनाएं)				
परियोजना रामकृष्ण मिशन			-	
परियोजना रामलीला			-	
परियोजना शनिवार वाड़ा			-	-
3. प्राप्त की गई अग्रिम राशियां	462,051	462,051	-	-
4. निम्नलिखित पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज				
क) सुरक्षित ऋण/उधार			-	
ख) असुरक्षित ऋण/उधार			-	-
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिशोध्य				
ख) अन्य : सदेय आयकर	9,201	9,201	-	-
6. अन्य चालू देयताएं : अग्रिम धन				
: सदेय व्यय	180,290			1,80,290
: राष्ट्रीय संग्रहालय को सदेय	742,475			742,475
: राष्ट्रीय संस्कृति को सदेय	10,097,281	11,020,046		742,475
कुल (क)		**11,491,298**		**922,765**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. उपदान		-		-
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6. अन्य : स्थापन व्यय				52,600
: सुरक्षा गार्ड व्यय		-		-
: वृत्तिक प्रभार		18,000		-
कुल (ख)		**18,000**		**52,600**
कुल (क+ख)		**11,509,298**		**975,365**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपये में)

वर्णन	सकल खंड				
	मूल्यह्रास दर	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन
क स्थायी परिसंपत्तियां					
1. भूमि					
क) पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)		-	-	-	
ख) पट्टाशुदा (लीज होल्ड)		-	-	-	-
2. भवन					
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-
ख) लीज होल्ड भूमि पर		-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर		-	-	-	-
घ) भूमि पर ऊपरी ढांचा जो इसनिकाय का नहीं है।		-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर		-	-	-	-
एयर कंडीशनर	15%	57,500	-	-	57,500
वाल्टेज स्टैब्लाइजर	15%	4,800	-	-	4,800
रेफ्रिजरेटर	15%	7,063	-	-	7,063
4. वाहन	-	-	-	-	-
5 फर्नीचर एवं फिक्सचर					
फर्नीचर मदें	10%	114,160	-	-	114,160
6. कार्यालय उपस्कर					
फोटो कॉपियर	15%	303,387	-	-	303,387
फैक्स मशीन	15%	27,500	-	-	27,500
7. कंम्पयूटर बाहय सामान					
कंप्यूटर हार्डवेयर	60%	315,676	62,628	-	315,676
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	19,290	-	-	19,290
8. वैद्युत संस्थापन	-	-	-	-	
9. पुस्तकालय पुस्तकें	-	-	-	-	
10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	
चालू वर्ष का योग		**849,376**	-	-	**849,376**
गत वर्ष		**786,748**	**62,628**	-	**849,376**

उपर्युक्त शामिल भाड़ा-खरीद आधार पर परिसम्पत्तियों के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए फार्मेट की अपेक्षा का पालन करने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के समूहीकरण में परिवर्तन किया गया है।

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपये में)

वर्णन	मूल्यह्रास			निवल खंड	
	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्द्धनो पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
क. स्थायी परिसंपत्तियां						
1. भूमि						
क) पूर्ण स्वामित्व						
ख) पट्टाशुदा	-	-	-	-	-	-
2. भवन	-	-	-	-	-	-
क) फीहोल्ड भूमि पर						
ख) लीज होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर ऊपरी ढांचा जो इस निकाय का नहीं है।	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-
एयन कंडीशनर	54,381	468	-	54,849	2,651	3,120
वाल्टेज स्टैब्लाइजर	4,540	39	-	79	221	260
रेफ्रिजरेटर	6,552	77	-	6,629	434	511
4. वाहन	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर						
फर्नीचर मदें	71,183	3,495	-	82,651	31,479	34,977
6. कार्यालय उपस्कर						
फोटो कॉपियर	252,143	7,687	-	259,830	43,551	51,244
फैक्स मशीन	23,034	870	-	704	3,796	4,466
7. कंम्पयूटर बाह्य सामान						
कंप्यूटर हार्डवेयर	259,543	33,679	-	293,222	22,454	56,133
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	18,897	236	-	19,133	157	393
8. वैद्युत संस्थापन	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय पुस्तकें	-	-	-	-	-	-
10. टयूबवेल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का योग	**698,273**	**46,354**	**-**	**744,627**	**104,749**	**151,103**
गत वर्ष	**646,051**	**52,222**	**-**	**698,273**	**151,103**	**207,502**

अनुसूची – 9 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश

राशि (रुपये में)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3.	शेयर		-
4.	ऋण पत्र और बंध पत्र	-	-
5	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6.	अन्य (विनिर्दिष्ट परियोजनाएं : एफ.डी.आर.)		
	परियोजना ज्ञान प्रवाह – एफ.डी.आर.	-	-
	परियोजना चौ. चरण सिंह – एफ.डी.आर.	-	-
	परियोजना डी.जी. जैसलमेर – एफ.डी.आर.	-	-
कुल		-	-

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 10 – निवेश – अन्य

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदिन प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची – 11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां :				
1. माल सूची				
क. भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे				
ख. खुले औजार	-		-	
ग. व्यापार में शेष माल	-		-	
तैयार माल	-		-	
चालू कार्य	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	
2. विविध ऋणदाता				
क. छह मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-	-	-
ख. अन्य	-	-	-	-
3. हाथ रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित)		363		4,119
4. बैंक में शेष राशि :				
क. अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में	-		-	
- सावधि जमा खाते मे अतिरिक्त गुंजाइशशुदा (मार्जिन धन भी शामिल है।)	370,767,532		257,608,518	
- बचत खाते में	41,771,308	412,538,840	98,247,080	355,855,598
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में	-		-	
- सावधि खाते में	-		-	
- बचत खाते में	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाते		-		-
कुल		**412,539,203**		**355,859,717**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि (जारी)

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिमधन और अन्य परिसंपत्तियां				
1. उधार राशियां				
क. कर्मचारिवृंद			-	
ख. निकाय के क्रियाकलाप/उद्देश्यों के समान क्रियाकलाप/ उद्देश्यों में लगे अन्य निकाय			-	
ग. अन्य			-	-
2. अग्रिमधन और अन्य रकमें जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्तव्य मूल्य पर वसूलनीय				
क. पूंजीगत खाता			-	-
ख. पूर्व संदाय	180,000	-	30,000	-
ग. अन्य : महानिदेशक (ए एस आई)	-		-	
: टी.एम.सी.सी. जमा – परियोजना ताजमहल	-		-	
: अन्य (परियोजना बाल अकादमी, दुर्गापुर)	-	180,000	-	30,000
3. प्रोद्भूत आय				
क. उद्दिष्ट / वृत्तिदान निधियों से निवेश पर	-		-	
ख. अन्य – निवेशों पर	623,637		18,851,745	
ग ऋण और अग्रिम धनों पर	-		-	-
घ. अन्य	-	623,637	-	18,851,745
4 प्राप्य दावे		6,129,957		4,336,949
योग (ख)		**6,933,594**		**23,218,694**
योग (क+ख)		**419,472,797**		**379,078,412**

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुबध – 1 – अनुसूची 11 क

अंतिशेष	(रुपये में) यथा 31.3.2010 को		(रुपये में) यथा 31.3.2009 को	
1. रोकड़ शेष				
एनसीएफ - अग्रदाय (पशगी)	363		4,119	
विशिष्ट परियोजनाएं				
शनिवारवाड़ा परियोजना	-		-	
ज्ञान प्रवाह परियोजना, वाराणसी	-		-	
किशकिन्दा ट्रस्ट परियोजना	-		-	
योग (क)		363		4,119
2. बैंक शेष				
अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष				
अऋ चालू खातों में				
ताज महल परियोजना, नई दिल्ली	-		-	
ज्ञान प्रवाह परियोजना, वाराणसी, एसबीआई	-	-	-	-
खऋ मार्जिन राशि सहित जमा लेखा में				
एनसीएफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नई दिल्ली	130,954,110		115,008,518	
आईसीआईसीआई बैंक, नई दिल्ली	118,692,852		92,600,000	
बैंक ऑफ बडौदा, नई दिल्ली	56,331,465		50,000,000	
विशिष्ट परियोजनाएं				
सावधि जमा - परियोजनाएं - जैसलमेर	64,789,105	**370,767,532**	-	257,608,518
गऋ बचत खाते में				
एनसीएफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - खाता सं. 55113357446	316,236		69,691,878	
आईसीआईसीआई बैंक	(54,485)		25,000	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - एफसीआरए	2,274,260	2,536,010	2,191,026	71,907,904
खाता सं. 55113357446				
विषेश परियोजनाएं				
बच्चों की एकेडमी परियोजनएं, दुर्गापुर	77,849		75,193	
हुमायूं टाम्ब परियोजना	14,874		14,874	
जेसलमेर किल परियोजना - बैंक	115,499		9,100,242	
जंतर मंतर परियोजना	677,876		654,759	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	21,038		21,038	
कर्नाटका चित्रकला परियोजना	1,000		1,000	
किशकिन्दा ट्रस्ट परियोजना	112,228		108,401	
रामा कृश्णा मिशन परियोजना	3,000,000		-	
रामन्ना महर्शी परियोजना पार्ट-1	904		873	
देवहुती दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	6,959		6,721	
राजा दिनकर केलकर म्यूजिम परियोजना	1,286,111		1,242,270	
शनिवारवाड़ा परियोजना	2,794,153		2,680,247	
आलम बाजार मठ परियोजना	8,497,933		6,761,714	
गोल गुम्बद परियोजना	1,059,526		1,023,394	
हिडिम्बा मन्दिर परियोजना - मनाली	2,070,613		2,000,000	
लोरिया नंदनगर परियोजना - बोकारो	2,504,467		2,504,467	
वजीरपुर का गुम्बद परियोजना	104,999		101,418	
इंडियन ऑइल फाउंडेशन परियोजना	10,299,725		-	
रामलीला परियोजना	3,607		3,607	
रामन्ना महर्शी परियोजना पार्ट-2	4,030,763		-	
लोधी टाम्ब परियोजना	2,555,174	39,235,298	38,960	26,339,178
योग 2		**412,538,840**		**355,855,600**
महायोग 1 + 2		**412,539,203**		**355,859,717**

31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय		
क. तैयार माल की बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ब. रद्दी माल की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी और प्रक्रियागत प्रभार	-	-
ख. वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-
ग. एजेन्सी कमीशन और दलाली	-	-
ध. अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड. अन्य विशिष्ट (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 13: अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसी	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य: दान	-	-
योग	-	-

अनुसूची 14: शुल्क/चंदा

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/चंदा	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

राशि (रुपए में)

	निवेश से निर्धारित निधि		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया		-	-	-
4. अन्य परियोजनाओं से संबंधित सावधि जमा (ब्याज)	-	-	-	5,479,120
घटाएं-उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरित	-	-	-	-
योग उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरित	-	-	-	**5,479,120**

अनुसूची 16: रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2 प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची 17: अर्जित ब्याज

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा		
क) अनुसूचित बैंकों में	20,590,582	29,667,650
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	385,005	551,272
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग) डाक घर बचत खातों में		
घ) अन्य (परियोजना रामलीला)		-
3. ऋण राशि पर		
क) कर्मचारीगण		
ख) अन्य		
4. देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
योग	**20,975,587**	**30,218,922**

31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 18 – अन्य आय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/व्ययन से आय		
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित, अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	-	-
योग		-

अनुसूची – 19 – तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/कमी तथा चालू कार्य

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) अंतिम स्टाक		
- तैयार माल	-	-
- चालू कार्य	-	-
ख) घटाएँ : आरंभिक स्टाक		
- तैयार माल	-	-
- चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-

अनुसूची – 20 – स्थापना व्यय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	971,461	616,570
ख) भत्ते और बोनस		-
ग) भविष्यनिधि में अंशदान		-
घ) अन्य निधि में अंशदान (विशिष्ट उल्लेख करें)		-
ड़) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ संबंधी व्यय		-
छ) अन्य-मान देय		50,000
योग	**971,461**	**666,570**

31.3.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची – 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) मरम्मत तथा अनुरक्षण	11,500	1,585
ख) डाक खर्च, टेलीपफोन, संचारएंव इंटरनेट प्रभार	44,834	51,092
ग) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11,579	97,343
घ) यात्रा एवं परिवहन खर्चे	88,697	64,841
ड़) व्यावसायिक प्रभार	445,450	155,570
च) कार्यालय खर्चे	42,571	38,040
छ) कंप्यूटर खर्चे	8,360	5,435
ज) बैंक प्रभार	535	1,467
झ) चौकीदार प्रभार	107,436	29,938
ञ) टैक्सी प्रभार	200,209	185,277
ट) विविध खर्चे	18,750	-
योग	**979,921**	**630,588**

अनुसूची – 22 – अनुदान सहायकियों आदि पर व्यय

राशि (रुपए में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
रमण महर्षि केंद्र पार्ट-2 को दिया गया अनुदान	-	1,050,000
देवाहूति दामोदार स्वराज न्यास को दिया गया अनुदान	600,000	-
आलम बाज़ार मठ को दिया गया अनुदान	-	6,000,000
ज्ञान प्रवाह को दिया गया अनुदान	-	200,000
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायकियाँ	-	-
योग	**50,000**	**7,250,000**

अनुसूची – 23 – ब्याज

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) सावधि ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) बैंक प्रभार	-	-
योग	-	-

31.3.2010 को समाप्त वर्ष का प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
I. प्रारंभिक शेष (अनुबंध 'क' के अनुसार)			**I. व्यय**		
क) हाथ रोकड़	4,119	58,295	क) स्थापना व्यय (अनुबंध ग के अनुरूप)	1,024,061	613,970
ख) बैंक शेष					
i) बैंक शेष	-	27,057	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुबंध घ के अनुरूप)	961,921	660,748
ii) जमा खातों में	257,608,518	292,832,297			
iii) बचत खातों में	98,247,081	32,975,721			
II. प्राप्त अनुदान			**II. निधियों में से किए गए भुगतान**		
क) भारत सरकार से	-	31,90 0,000	अनुदान पर व्यय (अनुसूची 22	650,000	7,250,000
ख) राज्य सरकार से	-	-	के अनुरूप उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि (अनुबंध -ख के अनुसार)	(7,334,191)	24,741,387
ग) अन्य साधनों से (विवरण)	-	-			
III. निवेशों से आयः			**III. निम्न से किए गए निवेश तथा जमा राशियां**	-	-
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	-	-	क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों में से	-	-
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-		ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)		
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय**		
क) बैंक जमा राशियों पर	23,035,991	12,887,231	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-	62,628
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) चालू पंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
V. अन्य आय (विशिष्ट उल्लेख करें)			**V. अधिशेष (सरप्लस) धन/ऋणों की वापसी**	-	-
दान		-	क) भारत सरकार को		
रॉयल्टी से आय (इंडियन बुक हाउस)			ख) राज्य सरकार को	-	-
			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
VI. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	VI. वित्त प्रभार	-	-
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि			VII. अन्य भुगतान (विशिष्ट उल्लेख करें)		
निधियों में परिवर्धन (अनुबंध 'ख' के अनुरूप)	30,417,041	18,691,793			
ख) प्राप्त विविध जमा		2,339,718			
ग) विविध आय	462,051	-	कर वापस मिलने योग्य	1,793,008	1,980,193
घ) टी.डी.एस. भुगतान योग्य	9,201	-	ऋणदाता को भुगतान	-	543,468
			विविध अग्रिम (अनुसूची ।ख के अनुरूप)	150,000	-
			VIII. अंतिम शेष		
			क) हाथ रोकड़	363	4,119
			ख) बैंक में शेष		
			i) चालू खाते में	-	-
			ii) जमा खाते में	370,767,532	257,608,518
			iii) बचत खाते में	41,771,308	98,247,080
योग	**409,784,002**	**391,712,111**	**योग**	**409,784,002**	**391,712,111**

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते विपुल कुमार एवं क०
चार्टर्ड एकाउंटेंटे

ह0/-
(भागीदार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्तूबर, 2010

कृते एंव राष्ट्रीय संस्कृति निधि की ओर से

ह0/-
(सदस्य सचिव)

संलग्नक – क

समाप्ति वर्ष 31.03.2010 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों का संलग्नक प्रपत्र भाग

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
रोकड़ शेष	4,119		3,863	
विशिष्ट परियोजनाएं				
नकदी/रोकड़				
शनिवारवाड़ा परियोजना	-		725	
अग्रदाय	-		-	
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कलकत्ता	-		52,870	
किशकिन्दा ट्रस्ट परियोजना	-	4,119	837	58,295
बैंक शेष				
अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष				
क) चालू खातों में				
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कलकत्ता, एस.बी.आई, नई दिल्ली खाता सं. 1000/067009	-	-	27,057	
ताज महल परियोजना	-	-	-	27,057
क) मार्जिन मनी जमा खातों पर शामिल				
एन.सी.एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नई दिल्ली	114,266,043		229,289,822	
आई सी आई सी आई बैंक, नई दिल्ली	92,600,000			
बैंक ऑफ बडौदा, नई दिल्ली	**50,000,000**			
सावधि जमा, मंत्रलय निधि	**742,475**		742,475	
	257,608,518		**230,032,297**	
विशिष्ट परियोजनाएं				
ज्ञान प्रवाह परियोजना – एफ.डी.आर	-		13,800,000	
चौ. चरण सिंह जन्म शताब्दी परियोजना – एफ.डी.आर	-		9,000,000	
डी.जी, जेसलमेर परियोजना– एफ.डी.आर	-		40,000,000	
		257,608,518	**62,800,000**	**292,832,297**
ख) बचत खातों में				
एन.सी.एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं. 55113357445	69,691,878		14,551,454	
आई सी आई सी आई बैंक,	25,000			
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2,191,026		2,116,796	
एफ सी आर ए खाता सं. 55113357445	**71,907,904**		**16,668,249**	
विशिष्ट परियोजजाएं				
बच्चों की एकेडमी परियोजना, दुर्गापुर, कनारा बैंक, खाता सं. 9014	75,193		24,194	
हुमायूं टॉम्ब परियोजना, दिल्ली	14,874		178,618	
जेसलमेर किला परियोजना	9,100,242		6,865,436	
जंतर मंतर परियोजना	654,759		642,608	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	21,038		851,773	
कर्नाटक चित्रकला परियोजना, केनरा बैंक खाता सं. 15583	1,000		1,000	
किशकिन्दा ट्रस्ट परियोजना, केनरा बैंक खाता सं. 20719	108,401		104,705	
आलम बाजार मठ परियोजना	6,761,714			
गोल गुम्बद परियोजना	1,023,394			
हिडिम्बा मंदिर परियोजना	2,000,000			
लोरिया नंदनगर परियोजना, बोकारो	2,504,467			
वजीरपुर का गुम्बद परियोजना	101,418			
रामन्ना महर्षी परियोजना पार्ट–1, इंडियन बैंक खाता सं. 3935	873		49,582	
देवहुती दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	6,721		55,068	
राजा दिनकर केलकर म्यूजियम परियोजना	1,242,270		1,166,797	
शनिवा रवाड़ा परियोजना, एसबीआई, खाता सं. 1100005515	2,680,247		4,052,678	
रामलीला परियोजना	-		337	
रामन्ना महर्षी परियोजना पार्ट–2	**3,607**		14,676	
लोधी टॉम्ब परियोजना	38,960		2,300,000	
	26,339,178	**98,247,080**	**16,307,472**	32,975,721

संलग्नक – ख

समाप्ति वर्ष 31.03.2010 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों का संलग्नक प्रपत्र भाग

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विशिष्ट परियोजनाएं		
चिल्ड्रेन अकाडमी परियोजना, दुर्गापुर	2,655	50,999
जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	23,118	22,447
देवहुती दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	238	1,653
लोधी मकबरा परियोजना	2,516,214	239,510
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कलकत्ता	-	200,000
रामना महर्षी परियोजना पार्ट-1	31	27,791
रामना महर्षी परियोजना पार्ट-2	-	1,053,667
शनिवरवाड़ा परियोजना, पूणे	591,304	1,461,718
राजा दिनकर केलकर म्यूजियम परियोजना	46,770	75,473
किशकिंधा ट्रस्ट परियोजना	3,827	3,696
डीजी, जेसलमेर परियोजना	18,086,420	3,135,984
लोरिया नंदनगर परियोजना, बोकारो स्टील प्लांट	-	2,504,467
वजीरपुर का गुम्बद परियोजना - पी.इ.सी	3,581	101,458
हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना	70,613	2,000,000
गोल गुंबद बीजापुर परियोजना - एस.टी.सी	36,132	1,023,434
आलम बाजार मठ परियोजना, कलकत्ता	1,736,924	6,761,952
रामलीला परियोजना	(659,762)	27,545
हम्पी फाउंडेशन परियोजना	4,030,763	-
इंडियन ऑइल फाउन्डेशन परियोजना	10,365,732	-
तुगलकाबाद किला परियोजना	3,000,000	-
चौ. चरण सिंह जन्म शताब्दी परियोजना	(9,000,000)	-
के. एल. सहगल परियोजना	(437,519)	-
योग	30,417,041	18,691,793
भुगतान	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
विशिष्ट परियोजनाएं		
जंतर मंतर परियोजना	-	10,296
देवहुती दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	-	50,000
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कलकत्ता	-	14,910,662
रामन्ना महर्षी परियोजना पार्ट-1	-	76,500
रामन्ना महर्षी परियोजना पार्ट-2	-	1,064,736
शनिवारवाड़ा परियोजना, पुणे	477,398	2,383,243
डी जी जेसलमेर किला परियोजना	2,282,058	3,314,792
लोधी टॉम्ब परियोजना	-	2,500,550
किशकंदा ट्रस्ट परियोजना	-	837
चिलड्रेन अकाडमी परियोजना, दुर्गापुर	-	872
वजीरपुर का गुंबद परियोजना, पी.इ.सी	-	40
रामलीला परियोजना	-	337
गोल गुम्बद बीजापुर परियोजना - एस.टी.सी	-	40
आलम बाजार मठ परियोजना, कलकत्ता	705	238
हुमायूं मकबरा परियोजना, दिल्ली	-	428,245
राजा दिनकर केलकर म्यूजियम परियोजना	2,929	-
योग	2,763,090	24,741,387

संलग्नक –ग

समाप्ति वर्ष 31.03.2010 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों का संलग्नक प्रपत्र भाग

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन और मजदूरियां	1,024,061	563,970
ख) भत्ते और बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
ड़) कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सीमांतलाओं पर व्यय	-	-
छ) अन्य मानदेय	-	50,000
योग	**1,024,061**	**613,970**

संलग्नक –घ

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) मरम्मत व अनुरक्षण	11,500	1,585
ख) डाक, टेलीफोन, संचार और इन्टरनेट प्रभार	44,834	51,092
ग) मुद्रण और लेखन सामग्री	11,579	97,343
घ) यात्रा और वाहन व्यय	88,697	64,841
ड़) व्यावसायिक प्रभार	427,450	155,570
च) कार्यालय व्यय	42,571	38,040
छ) कम्प्यूटर व्यय	8,360	5,435
ज) बैंक प्रभार	535	1,467
झ) सुरक्षा गार्ड व्यय	107,436	29,938
ञ) टैक्सी भाड़ा प्रभार	200,209	185,277
ट) विविध व्यय	18,750	-
ठ) लेखा-परीक्षा शुल्क	-	30,160
कुलयोग	**961,921**	**660,748**

लेखांकन नीतियां/लेखाओं पर टिप्पणियां

अनुसूची – 24 एवं 25 – उल्लेखनीय लेखांकन नीतिया

क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन परंपरा**

   वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपराओं एवं अन्य अनिवार्य लेखा मानदंडों के तहत तैयार किया गया है।

2. **अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास**

   क) अचल/स्थिर अस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाने की अर्जन की लागत पर किया गया है।

   ख) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत उल्लिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास मूल्य विधि पर दिया गया है।

   ग) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में परिवर्धान/कटौती के परिप्रेक्ष्य में मूल्यह्रास पर समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

3. **लेखांकन की प्रविधि**

   न्यास अपने खातों को नकदी/रोकड़ आधार अनुरक्षित करता था, किंतु केन्द्रीय स्वशासी निकाय हेतु अपेक्षाओं को अनुपालित करने के क्रम मे न्यास ने वित्त वर्ष 2001-02 के पश्चात से लेखांकन प्रविधि के रोकड़ आधार को बदलकर प्रोद्भवन/उपचय आधार को अपना लिया है।

4. **राजस्व अभिज्ञान (पहचान)**

   क) न्यास लेखांकन के प्रोद्भवन (उपचय) प्रणाली का अनुपालन कर रहा है और सभी राजस्वों को तब मान्यता (अभिज्ञान) दी जाती है, जब और जैसे ही वह प्राप्ति के लिए देय हो जाता है तथा सभी व्ययों को तभी, समाकालित किया जाता है वे जब और जैसे ही वे भुगतान के देय हो जाते हैं।

   ख) सभी विशिष्ट परियोजनाओं से आय अर्जन/हानि को उस वर्ष में अभिज्ञान किया जाएगा, जिस वर्ष में संबंधित परियोजना पूर्ण होती है।

5. **निवेश**

   निवेश को लागत में वर्णित किया गया हैं।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को लेखा-बहियों में नहीं दिया गया है, किंतु उन्हें लेखा-नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।

लेखा टिप्पणी

अनुसूची 1 में दी गई मूल/पूंजी निधिा में मुख्यत: दो भाग होते हैं यथा-प्राथमिक मूल एवं द्वितीयक मूल निधि/विवरण निम्नानुसार हैं-

विवरण	प्राथमिक मूल निधि (राशि रुपये में)	द्वितीयक मूल निधि (राशि रुपये में)	योग मूल निधि
प्रारंभिक शेष	19,50,00,100.00	10,68,17,591.00	30,18,17,691.00
जोड़ – वर्ष के दौरान अंशदान/आधिक्य	**शून्य**	1,83,27,851.00	1,83,27,851.00
घटाना – खातें को अलग संयुक्त खातों में	**शून्य**	-1,61,67,704.00	-1,61,67,704.00
स्थानांतरित किया गया			
	1,95,000,100-00	**10,89,77,738-00**	**30,39,77,838-00**

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(सी)(iv) की छूट प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया।

3. वर्ष के दौरान जैसलमेर किले के लिए सावधि जमा की मूल राशि के साथ ब्याज की 1,61,67,704.00 रू की राशि को एक अलग संयुक्त बैंक खाते अंतरित किया गया, चूंकि यह राशि पिछले वर्ष में एनसीएफ के ब्याज के रूप मे दिखाई गई है और मूल राशि एन सी एफ के बचत खाते में रखी हुई है। चूंकि पिछले वर्ष राशि को द्वितीयक मूल निधि में अंतरित किया गया था अत: द्वितीयक मूल निधि को राशि से 1,61,67,704.00 रू की राशि को घटा दिया गया है।

4. रू 1,00,97,281 की राशि को संस्कृति मंत्रालय हेतु वापसी योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है जो कि मंत्रालय से प्राप्त धन से बाहर की बिना खर्च की गई राशि के रूप में पड़ी है। इस राशि में चौधरी चरण सिंह (जन्मशती) की 90,00,000/- रू की राशि, के एल सहगल की 437519.00 रू की राशि तथा राम लीला की 6,59,762.00 रू की राशि भी शामिल है। वह राशि जो किसी भी परियोजना से संबद्ध नहीं है तथा एन सी एफ के बचत (बैंक) खाते में पड़ी है, उसे अब मंत्रलय को वापसी योग्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5. जहां पर आवश्यक हुआ है वहां पर पिछले वर्ष के सुसंगत आंकड़ों को पुन: समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

6. अनुसूची 1 से 25 यथा तिथि 31-3-2010 पर तुलनपत्र और यथातिथि पर समाप्ति वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न अंग के रूप में

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर (भागीदारी)
स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 20 अक्टूबर, 2010

कृते-राष्ट्रीय संस्कृति निधि की ओर से

हस्ताक्षर
सदस्य सचिव